केवल शासकीय प्रयोजनार्थ
(अध्ययन क्रमांक – 426)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन (2006–07)

मूल्यांकन संगठन
राजस्थान सरकार
योजना भवन
जयपुर

अनुक्रमणिका

अध्याय	विवरण	पृष्ठ संख्या
	निष्पादक संक्षेप	i - ix
प्रथम	मूल्यांकन संरचना	1 – 7
द्वितीय	प्रगति समीक्षा	8 – 13
तृतीय	अध्ययन परिणाम	14 – 41
चतुर्थ	कठिनाइयाँ एवं सुझाव	42 – 47
	परिशिष्ट	I - V

***

उद्‌बोधन

किसी भी देश, राज्य, सरकार एवं समाज का नैतिक दायित्व होता है कि समाज के आर्थिक रूप से निर्बल, वृद्ध, असहाय, निराश्रित एवं विकलांग लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की व्यवस्था करे। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत राजस्थान के निराश्रित 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष एवं 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रतिमाह निर्धारित राशि एक मुश्त पेंशन के रूप में उपलब्ध करवाने के प्रावधान किये गये। योजना के तहत राज्य में वर्ष 2005–06 में 3.70 लाख निराश्रित वृद्धों को पेंशन दी गयी। राज्य के इतने बड़े वर्ग को आर्थिक सम्बल प्रदान करने हेतु संचालित योजना की उपयोगिता, पेंशन राशि की पर्याप्तता एवं पेंशन राशि से लाभान्वित वर्ग पर होने वाले प्रभावों का आकलन करने हेतु राज्य के मूल्यांकन संगठन द्वारा मूल्यांकन करवाया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि पेंशन राशि वृद्ध व्यक्तियों के लिये सम्मान के साथ जीने में सहायक सिद्ध हुई है। पेंशन राशि का उपयोग अधिकतर लाभार्थियों ने भोजन एवं चिकित्सा व्यय हेतु किया है। प्रस्तुत प्रतिवेदन में योजना क्रियान्विति के परिणामों को यथास्थान दर्शाते हुए योजना क्रियान्विति में व्यावहारिक सुझावों को आधार मानते हुए इसके सफल संचालन हेतु उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। आशा है प्रतिवेदन में वर्णित सुझाव कार्यक्रम के प्रभावी संचालन में कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जुलाई,2008
स्थान : जयपुर

(यदुवेन्द्र माथुर)
शासन सचिव, आयोजना

आमुख

सम्मान एवं स्वाभिमान से जीवनयापन करना प्रत्येक इन्सान की नैसर्गिक अभिलाषा होती है लेकिन कभी–कभी प्राकृतिक विडम्बनाओं, भाग्य, बीमारी अथवा अन्य परिस्थितियों के कारण निर्बल, निशक्त, विधवा/वृद्ध पुरूष/महिलाऐं अपने स्वयं के साधनों से जीवनयापन करने में सक्षम नहीं होते हैं। ऐसे में सरकार का दायित्व होता है कि इन लोगों को बिना किसी प्रकार का एहसास करवाये जीवनयापन हेतु न्यूनतम साधन एवं मूलभूत आवश्यक सुविधाऐं उपलब्ध कराये। इसी श्रृंखला में राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1974 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से वृद्ध महिला एवं पुरूष को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु निर्धारित पेंशन राशि उपलब्ध करवायी जा रही है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 1.4.2006 से 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के पात्र पुरूष/महिला को 400 रूपये एवं पात्र दम्पत्ति को 600 रूपये संयुक्त पेंशन देने के प्रावधान किये गये। कार्यक्रम की मूल अवधारणा के प्रभाव, राशि की पर्याप्तता एवं उपलब्धता की समीक्षा हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रम का मूल्यांकन किया गया है।

इस योजना का मूल्यांकन अध्ययन न्यादर्श चयन प्रणाली के आधार पर किया गया है जिसके तहत चार जिलों में ग्रामीण क्षेत्र के 163 एवं शहरी क्षेत्र के 155 कुल 318 लाभार्थियों एवं 55 सरकारी/गैर सरकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार किया गया। मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान योजना की सफलता, उपादेयता तथा वृद्धजनों को उपलब्ध करायी गयी राशि एवं उसकी समयावधि को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन अध्ययन का कार्य किया गया।

अध्ययन के निष्कर्षों से परिलक्षित होता है कि विगत वर्षों में योजनान्तर्गत पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों एवं उनको उपलब्ध करवायी गयी राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। प्रतिवेदन में पेंशन राशि की उपलब्धता, पर्याप्तता, पात्रता एवं पेंशन वितरण आदि के सम्बन्ध में अनुभूत कठिनाईयों की विवेचना करते हुए यथास्थान सारगर्भित सुझाव दिये गये है। मैं आशा करती हूँ कि प्रतिवेदन में वर्णित सुझाव कार्यकारी विभाग के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे।

तिथि : जुलाई,2008
स्थान : जयपुर

(मधु पोखरना)
निदेशक एवं पदेन उप सचिव

निष्पादक संक्षेप

I. प्रस्तावना :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समाज के आर्थिक रूप से गरीब यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग व्यक्तियों के साथ–साथ विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा बच्चों के उत्थान हेतु अनेक विकासीय कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसमें विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजना का मुख्य स्थान है।

II. वृद्धावस्था पेंशन योजना का उद्देश्य :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र वृद्ध व्यक्तियों/महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकट एवं पीड़ा के समय इनकी देखभाल एवं जीवनयापन में राज्य सरकार भागीदार बने तथा असहाय वृद्धों को समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो।

III. योजना का स्वरूप :

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम,1974 के अन्तर्गत पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है जिसके अन्तर्गत 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष एवं 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला को पेंशन उपलब्ध करायी जाती है। समय–समय पर पेंशन राशि में वृद्धि की गयी। दिनांक 01.06.1999 से 58 वर्ष से 65 वर्ष की आयु के वृद्ध पुरूष को 100 रूपये, 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष को 200 रूपये प्रतिमाह तथा संयुक्त पेंशन (पति–पत्नि को) 300 रूपये प्रतिमाह दी जा रही थी। 01.04.06 से 65 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला अथवा पुरूष की पेंशन राशि बढ़ाकर 400 रूपये एवं 65 वर्ष से या इससे अधिक आयु के दम्पत्ति को संयुक्त पेंशन 600 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है। यदि किसी दम्पत्ति (पति–पत्नि) दोनों में से किसी की भी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है तो संयुक्त पेंशन 500 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी है।

IV. पात्रता :

- राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो और आवेदन के दिन कम से कम तीन वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो,
- 58 वर्ष की आयु का पुरूष या 55 वर्ष की आयु की महिला जो निराश्रित हो,

- प्रकट स्त्रोतों से (जैसे– किराया, ब्याज, लाभांश, सेवा अनुदान या वृति, व्यवसाय, कारोबार, व्यापार उद्योग आदि से) नियमित आय नहीं हो, यदि आवेदक सीमान्त कृषक है – निर्धारित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि से प्राप्त आय को नियमित आय नहीं माना जायेगा।
- प्रार्थी के कुटुम्ब/परिवार का सदस्य (पति/पत्नी/पुत्र/दत्तक पुत्र/पौत्र) 20 वर्ष या अधिक आयु का न हो या ऐसा सदस्य स्वयं अक्षम तथा कमाने में असमर्थ हो,
- उपरोक्त में से किसी बात के होते हुए भी 65 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष या महिला जो कि सहरिया जनजाति या ऐसे परिवार के हों, जिसकी पहचान राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा जारी सूचियों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में की गयी है, पेंशन के लिए पात्र होगा।

V. अध्ययन की आवश्यकता :

राज्य सरकार के निर्देश पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवच के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत देय राशि की पर्याप्तता व उपलब्धता से लाभार्थियों पर पड़े प्रभाव के आकलन हेतु मूल्यांकन का कार्य मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

VI. अध्ययन के उद्धेश्य :

(i) योजनान्तर्गत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा करना,
(ii) लाभान्वितों को देय राशि की पर्याप्तता, उपलब्धता एवं उपयोग का विश्लेषण करना,
(iii) प्राप्त आर्थिक सहायता के प्रभाव का आकलन करना एवं
(iv) योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयों/कमियाँ ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

VII. न्यादर्श प्रक्रिया :

सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा, वृद्वावस्था एवं विकलांग/निःशक्तजन पेंशन योजना का मूल्यांकन अध्ययन करने की सिफारिश की गयी थी ये तीनों योजनाएं राज्य के समस्त जिलों में संचालित की जा रही है। अतः समय एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति का उपयोग कर विधवा पेंशन योजना की प्रगति के आधार पर न्यादर्श का चयन किया जाकर चयनित न्यादर्श को वृद्वावस्था एवं विकलांग पेंशन योजना के मूल्यांकन हेतु भी चयनित माना जाकर क्षेत्रीय कार्य किया गया। विधवा पेंशन योजना की न्यादर्श प्रक्रिया निम्न प्रकार थी :–

प्रथम स्तर पर संदर्भित अवधि के तीन वर्षों (2003–04, 2004–05 एवं 2005–06) में लाभार्थियों की संख्या को सम्भागवार घटते क्रम में व्यवस्थित कर सर्वाधिक लाभार्थियों वाले प्रथम तीन सम्भागों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर सम्भागों का द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित सम्भाग से संदर्भित तीन वर्षों में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर एक–एक जिला अर्थात तीन जिलों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से दो नगर निकाय एवं दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित नगर निकाय से दो–दो वार्ड एवं प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन साधारण न्यादर्श पद्धत्ति से किया गया इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 12 वार्ड एवं 12 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाकर वार्ड एवं ग्राम पंचायत से वर्ष 2005–06 में लाभान्वितों से 15–15 लाभ प्राप्तकर्ताओं का चयन किया जाना निर्धारित किया गया। क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित वार्डों एवं ग्राम पंचायतों में कम संख्या में लाभान्वित पाये जाने के कारण वार्डों से 155 एवं चयनित ग्राम पंचायतों से 163 कुल 318 लाभार्थियों से अनुसूचियाँ भरी गयी।

प्रस्तुत अध्ययन में चयनित 318 लाभार्थियों के अलावा 55 अधिकारी–गैर अधिकारी उत्तरदाताओं से साक्षात्कार के दौरान उनसे प्राप्त विचारों/तथ्यों एवं वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक प्राप्त प्रलेख सूचनाओं को संकलित कर विश्लेषण किया गया है।

VIII. प्रगति समीक्षा :

- राज्य में वृद्ध लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 2003–04 में 295490 वृद्धों को पेंशन दी गयी वहीं वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 में बढ़कर क्रमशः 337130 एवं 370609 हो गयी।

- योजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2003–04, 2004–05 एवं 2005–06 में क्रमशः 6247.11, 6898.55 एवं 8589.99 लाख रूपये व्यय किये गये।

- वर्ष 2005–06 में चयनित जिला जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर में क्रमशः 14506, 28087 एवं 8837 वृद्धों को पेंशन उपलब्ध करवायी गयी। जिला उदयपुर एवं अजमेर में शत प्रतिशत वृद्धों को मनीऑर्डर द्वारा भुगतान किया गया जबकि जयपुर जिले में 3439 वृद्धों को कोषालय से नकद भुगतान एवं शेष 11067 वृद्धों को मनीऑर्डर द्वारा पेंशन राशि उपलब्ध करवायी गयी।

IX. अध्ययन परिणाम :

(i) **लाभार्थियों का सामान्य विवरण** –

- चयनित 318 वृद्धों में से सर्वाधिक 163(51.26 प्रतिशत) 55 से 65 वर्ष, 136(42.77 प्रतिशत) 65 से 75 वर्ष, 17 (5.34 प्रतिशत) 75 वर्ष से 85 वर्ष एवं शेष 2(0.63 प्रतिशत) वृद्ध 85 वर्ष से भी अधिक आयु के थे।
- चयनित 318 वृद्धों में से 155 शहरी एवं 163 ग्रामीण क्षेत्र के थे।
- 71(22.33 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जाति, 43(13.52 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति, 112 (35.22 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग एवं शेष 92 (28.93 प्रतिशत) लाभार्थी अन्य वर्ग के थे।
- 236(74.21 प्रतिशत) वृद्ध निरक्षर एवं 82(25.79 प्रतिशत) शिक्षित/साक्षर थे।
- समस्त चयनित 318 लाभार्थी राज्य के मूल निवासी थे।
- चयनित 318 लाभार्थियों के परिवारों में से 144 (45.28 प्रतिशत) वृद्ध परिवारों में वृद्ध स्वयं ही सदस्य थे अर्थात् अकेले थे।

(ii) **वृद्धों के आवास की स्थिति–** चयनित 318 वृद्धों में से 250 (78.62 प्रतिशत) वृद्ध स्वयं के आवास में रह रहे थे जबकि शेष 68(21.38 प्रतिशत) वृद्धों के पास स्वयं के आवास नहीं थे। जिन 250 वृद्धों के पास स्वयं के मकान थे, उनमें से 132(52.80 प्रतिशत) कच्चे मकानों में, 97 (38.80 प्रतिशत) पक्के मकानों में एवं शेष 21 (8.40 प्रतिशत) कच्चे पक्के मकानों में रह रहे थे।

(iii) **वृद्धों का रहवास–** चयनित 318 वृद्धों में से 141 (44.34 प्रतिशत) वृद्ध परिवार के साथ, 11 (3.46 प्रतिशत) अन्य परिजनों के साथ, 23 (7.23 प्रतिशत) रिश्तेदार के साथ एवं शेष 143 (44.97 प्रतिशत) अकेले रह रहे थे।

(iv) **राशनकार्ड/बीपीएल कार्ड–** चयनित 318 वृद्धों में से अधिकांश 313 (98.43 प्रतिशत) वृद्धों के पास राशनकार्ड थे। 111(34.91 प्रतिशत) वृद्ध बीपीएल चयनित थे।

(v) **पेंशन की जानकारी का माध्यम एवं पेंशन आवेदन हेतु सहयोग–** ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन की जानकारी एवं आवेदन–पत्र भरने में सहयोग देने वालों में सरपंच, वार्ड पंच एवं ग्राम सेवक प्रमुख थे तो शहरी क्षेत्र में प्रमुख स्त्रोत वार्ड मेम्बर व पार्षद थे।

(vi) **पेंशन स्वीकृत वर्ष–** चयनित 318 वृद्धों में से 102(32.08 प्रतिशत) वृद्धों को वर्ष 2000 से पूर्व, 59 (18.55 प्रतिशत) वृद्धों को वर्ष 2000–02 के मध्य, 74(23.27 प्रतिशत) को वर्ष 2002 से 2004 के मध्य, 83(26.10 प्रतिशत) को वर्ष 2004 से 2006 के मध्य पेंशन स्वीकृत हुई थी।

(vii) **पेंशन स्वीकृति में लगने वाला समय** :
31 (9.75 प्रतिशत) वृद्धों के पेंशन आवेदन–पत्र प्रस्तुत करने के 1 माह के अन्दर, 81(25.47 प्रतिशत) वृद्धों की दो माह के अन्दर, 150 (47.17 प्रतिशत) को 2 से 4 माह में, 39 (12.26 प्रतिशत) को 4 से 6 माह में एवं 11 (3.46 प्रतिशत) वृद्धों की पेंशन 6 माह से ज्यादा समय में पेंशन स्वीकृत हुई एवं शेष 6 वृद्धों से पेंशन स्वीकृति के समय की सूचना प्राप्त नहीं हुई। विभाग द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिये कि आवेदन के एक माह में पेंशन स्वीकृत हो जावे।

(viii) **पेंशन की प्राप्त राशि** :

- सर्वे दिनांक को चयनित 318 लाभार्थियों में से 315 लाभार्थियों को पेंशन मिल रही थी। तीन चयनित लाभार्थियों के बच्चे व्यस्क हो जाने के कारण पेंशन मिलना बन्द होना अवगत कराया गया।

- सर्वे दिनांक को पेंशन प्राप्त करने वाले 315 लाभार्थियों में से 46(14.46 प्रतिशत) महिला लाभार्थियों को जिनकी आयु 55 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं को 200 रूपये प्रतिमाह, 4(1.26 प्रतिशत) लाभार्थियों को जिनकी आयु 65 वर्ष से कम थी उनको संयुक्त पेंशन (पति–पत्नि) 300 रूपये प्रतिमाह, 216 (67.93 प्रतिशत) लाभार्थी (महिला या पुरूष) जो 65 वर्ष से अधिक आयु के थे उनको 400 रूपये प्रतिमाह एवं शेष 49 (15.41 प्रतिशत) लाभार्थी जो पति–पत्नि दोनों 65 वर्ष से अधिक आयु के थे, उनको संयुक्त पेंशन 600 रूपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे थे।

- सर्वे दिनांक को पेंशन प्राप्त कर रहे 315 वृद्धों में से 234 (74.28 प्रतिशत) वृद्धों को मनीऑर्डर, 72 (22.86 प्रतिशत) को कोषालय से नकद एवं शेष 9 (2.86 प्रतिशत) वृद्धों को बैंक/डाकघर खाते से राशि प्राप्त होना पाया गया। कोषालय से नकद राशि प्राप्त करने वाले वृद्ध ज्यादातर शहरी क्षेत्र के थे।

(ix) **पेंशन की नियमितता** :

- चयनित 318 वृद्धों में से 151 (47.48 प्रतिशत) वृद्धों को नियमित एवं शेष 167 (52.52 प्रतिशत) वृद्धों को पेंशन राशि नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही थी। इनको पेंशन राशि 2 माह से 4 माह में प्राप्त हो रही थी। नियमित रूप से पेंशन राशि प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण कोष कार्यालय में वृद्धों का नहीं आना, ग्राम के बाहर अपने रिश्तेदारों के चले जाने से मनीऑर्डर वापस आ जाना तथा डाकघर के माध्यम से पेंशन प्रतिमाह वितरित न की जाकर दो माह में मनीआर्डर द्वारा एक बार पेंशन राशि वितरित किया जाना था।
- सर्वे दिनांक को 151 वृद्धों को चालू माह की पेंशन प्राप्त हो चुकी थी लेकिन 42 वृद्धों की 1 माह, 96 वृद्धों की 2 माह, 24 वृद्धों की 3 माह एवं शेष 2 वृद्धों की 4 माह या इससे भी अधिक समय की पेंशन बकाया थी। पेंशन प्राप्त नहीं होने के मुख्य कारण यथा 2–2 माह की पेंशन मनीऑर्डर द्वारा आना, मनीऑर्डर का माह की 10–15 तारीख तक आना, कोष कार्यालय से समय पर डाकघरों में राशि नहीं भिजवाना, डाकघर में पेंशन लेने नहीं जाना एवं वृद्धों द्वारा जीवित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने में देरी करना इत्यादि रहे।

(x) **पेंशन राशि का उपयोग–** ज्यादातर लाभार्थी पेंशन का उपयोग अन्न खरीदने, दवाईयों एवं घरेलू खर्च पर करते हैं।

(xi) **पेंशन राशि की पर्याप्तता–** 318 वृद्धों में से 34 वृद्धों ने मिल रही पेंशन राशि को पर्याप्त एवं शेष 284 वृद्धों की राय में पेंशन राशि अपर्याप्त होना अवगत कराया। उन्हें जीवन निर्वाह हेतु अतिरिक्त राशि की अन्यत्र स्थान से व्यवस्था करनी पड़ रही थी। लाभार्थियों की राय के अनुसार 65 वर्ष से ज्यादा वृद्ध महिला/पुरूष की 500–600 रूपये प्रतिमाह एवं संयुक्त पेंशन (पति–पत्नि) की 800–1000 रूपये के मध्य किया जाना अवगत कराया।

(xii) **जीवन स्तर पर प्रभाव–** सरकार द्वारा प्रदत्त पेंशन राशि से ज्यादातर लाभार्थियों ने अवगत कराया कि पेंशन राशि मिलने से पूर्व दूसरे निकटतम परिवारजनों/ग्रामवासियों पर निर्भर रहना पड़ता था अब मांगने के स्थान पर स्वयं ही खर्चा चला लेते हैं। पेंशन की व्यवस्था से स्वयं आत्मनिर्भर होना, सम्मानजनक जिन्दगी यापन करना, आर्थिक कठिनाईयाँ कम होना भी अवगत कराया गया। 177 लाभार्थियों ने निकटतम रिश्तेदारों की मदद के बजाय पेंशन राशि से गुजारा होने लग जाना या आत्मनिर्भर होना अवगत कराया।

X. **योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु सुझाव :**

(i) **योजना के प्रचार–प्रसार की समुचित व्यवस्था–** लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बढ़ायी गयी पेंशन राशि के सम्बन्ध में समुचित जानकारी यथा– समय प्राप्त नहीं होती है। कई लाभार्थियों को यह भी जानकारी नहीं है कि पेंशन राशि कब से बढ़ी है एवं कितनी बढ़ी है। अतः पेंशनरों को यथासमय जानकारी ग्राम पंचायत एवं पटवारी से दिलवाने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

(ii) **आयु की गणना–** आवेदकों/लाभार्थियों का आयु प्रमाण–पत्र न होने की स्थिति में आयु राशन कार्ड अथवा मतदाता पहचान–पत्र से भरी जाती है। राशन कार्ड एवं मतदाता पहचान–पत्र में आयु सही अंकित नहीं होने के कारण 65 वर्ष से कम एवं 65 वर्ष से ज्यादा की वृद्धों की पेंशन राशि पृथक–पृथक निर्धारित किये जाने के कारण देय राशि प्राप्त करने हेतु आयु में परिवर्तन कराने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि आवेदक के आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय सही आयु स्वीकृति में अंकित की जावे तथा 65 वर्ष की आयु होने के बाद स्वतः ही बढ़ी हुई पेंशन राशि वृद्धों को उपलब्ध हो जानी चाहिए।

(iii) **ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर आवेदन पत्र भरवाने की व्यवस्था–** ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक अशिक्षित होने के कारण आवेदन–पत्र में कमियाँ/ विसंगतियाँ होने के कारण ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं तहसील में बार–बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। अतः जहाँ तक सम्भव हो पेंशन आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा अथवा अभियान/शिविर में तैयार करवाये जावें तथा उसी समय सूक्ष्म परीक्षण कर लिया जावे ताकि आवेदन–पत्र तैयार करवाने से आवेदक की पात्रता का भी सही आकलन हो सकेगा।

(iv) **पात्र आवेदकों का चयन–** क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह तथ्य उभरकर आया कि जिन ग्रामों में सरपंच/वार्ड पंच जागरूक हैं, वे शिविरों में ज्यादा से ज्यादा पेंशन आवेदन–पत्र तैयार करवाकर स्वीकृत करवा लेते हैं लेकिन जिन क्षेत्रों में पटवारी/ग्राम सेवक/सरपंच इस कार्य में रूचि नहीं लेते हैं वहाँ पर पात्र वृद्ध पेंशन से वंचित रह जाते हैं।

(v) **आवेदक की पात्रता में शिथिलता–** वृद्धावस्था पेंशन के प्रावधान के अनुसार वृद्ध व्यक्ति के 20 वर्ष का पुत्र होते ही पेंशन स्वतः ही बन्द हो जाती है। चयनित लाभार्थियों का मत था कि 20 वर्ष की आयु में पुत्र न तो अपनी पढ़ाई ही समाप्त कर पाता है न ही कमाने लायक होता है। अतः आयु पर पुनर्विचार किया जाकर 25 वर्ष किया जाना उपयुक्त रहेगा।

(vi) **पेंशन स्वीकृति–** सामान्यतया पेंशन हेतु आवेदन करने से लेकर पेंशन स्वीकृत एवं पी.पी.ओ. जारी करने में 2 से 3 माह का समय लग जाता है। इसका मुख्य कारण स्वीकृति जारी करने एवं पी.पी.ओ. जारी करने का कार्य पृथक–पृथक अधिकारियों द्वारा व पृथक–पृथक विभागों द्वारा किया जाना है। अतः पेंशन स्वीकृति में लगने वाले समय को कम किये जाने हेतु समुचित व्यवस्था की जानी चाहिये।

(vii) **पेंशन का भुगतान मनीआर्डर के माध्यम से ही उपयुक्त–** वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में ही लाभार्थी का बचत खाता खोलकर उसके माध्यम से पेंशन भुगतान की व्यवस्था प्रगति पर है। पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी व पेंशन प्राप्तकर्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण वृद्धों को भुगतान में परेशानी होती है एवं डाककर्मियों को पोस्टिंग में परेशानी होती है। कई वृद्धों का पोस्ट ऑफिस तक आना जाना भी कठिन है। पास बुक/चैक बुक खोने का खतरा है तथा दूसरे व्यक्ति/रिश्तेदार से राशि मंगवाने पर पूरी राशि नहीं मिलने का भी अंदेशा रहेगा। ज्यादातर लाभार्थियों का सुझाव था कि पोस्ट ऑफिस से बचत खाते के बजाय वर्तमान तरीका अर्थात् मनीआर्डर से पेंशन राशि उपलब्ध कराना ज्यादा उपयुक्त रहेगा।

(viii) **जीवित प्रमाण पत्र भिजवाने की व्यवस्था** :
पेंशन प्राप्तकर्ताओं द्वारा हर वर्ष में जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। उनको यह मालूम नहीं हो पाता है कि जीवित प्रमाण पत्र कब भिजवाना है एवं जीवित प्रमाण पत्र भिजवाने हेतु भी अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहना पड़ता है। जीवित प्रमाण–पत्र के अभाव में मनीआर्डर द्वारा राशि प्राप्त होना भी बन्द हो जाती है। अतः सभी पेंशनर्स का जीवित प्रमाण–पत्र दिलवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत एवं पटवारी को देने से समुचित व्यवस्था हो सकती है।

(ix) **विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं में समन्वय–** योजना में पेंशन स्वीकृति आदेश, पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) एवं पेंशन भुगतान अलग–अलग अधिकारियों द्वारा किया जाता है। स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यह जानकारी प्राप्त नहीं की जाती है कि कितनों को पी. पी. ओ. जारी हुए एवं कितने पेंशन स्वीकृत आवेदकों को पेंशन प्राप्त हो रही है। इस प्रकार स्वीकृत अधिकारी (विकास अधिकारी/उपखण्ड अधिकारी), कोषालय एवं तहसील में समन्वय का अभाव है। अतः सम्पूर्ण योजना का जिला/पंचायत समिति/ निकाय स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाया जावे जो प्राप्त आवेदन–पत्रों, स्वीकृत आवेदन–पत्र, जारी पी.पी.ओ. एवं वास्तविक भुगतान आवेदकों की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(x) **मॉनिटरिंग व्यवस्था–** योजना की सबसे बड़ी कमी प्रत्येक स्तर पर मॉनिटरिंग का अभाव है किसी भी स्तर पर योजना के प्रबोधन हेतु निर्धारित प्रपत्र एवं निश्चित दिनांक निर्धारित नहीं है केवल कोषालय में ग्रामीण व शहरी की अलग–अलग सूचना उपलब्ध है। यहाँ तक कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला कार्यालयों में भी कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जावे। इस हेतु फॉर्मेट/प्रपत्र बनाकर संबंधित अधिकारियों को भेजकर जिम्मेदारी निश्चित की जावे ताकि सूचनाओं में एकरूपता आ सके।

निष्कर्ष :

वृद्ध व्यक्तियों/महिलाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना अत्यधिक सहायक एवं उपयोगी रही है। योजनान्तर्गत 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों को पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है। वर्तमान में 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला अथवा पुरूष को 400 रूपये प्रतिमाह एवं संयुक्त पेंशन (पति–पत्नि को) 600 रूपये प्रतिमाह करवायी जा रही है। 65 वर्ष से कम एवं 55 वर्ष से ज्यादा आयु की महिला को 200 रूपये, 58 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम आयु के पुरूष को 100 रूपये एवं 65 वर्ष से कम आयु के पति–पत्नि को संयुक्त पेंशन 300 रूपये उपलब्ध करवायी जा रही है। यद्यपि यह राशि सम्पूर्ण गुजारा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथापि प्राप्त पेंशन राशि से वृद्धों को बहुत सम्बल मिला है, समाज व परिवार में उनका सम्मान एवं मनोबल बढ़ा है, उनके आर्थिक स्तर में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। योजना के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन हेतु ग्राम सभा में समय–समय पर समस्त पात्र वृद्धों के आवेदन–पत्र भरवाये जावें ताकि उसी समय आवेदन–पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण किया जा सके। यदि सम्भव हो सके तो स्वीकृत आदेश/पी.पी.ओ. की प्रति साधारण डाक से न भेजी जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावे। पेंशन के नियमित भुगतान हेतु व कार्यालय में भीड़ कम करने के उद्धेश्य से ग्राम पंचायतवार तिथि निश्चित कर दी जावे। पेंशन राशि का भुगतान डाकघर के बचत खाते के बजाय मनीआर्डर के माध्यम से ही किया जाना उपयुक्त रहेगा। योजना के मॉनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि योजना संबंधित सूचनाएँ एक स्थान पर उपलब्ध हो सके।

———

अध्याय प्रथम

मूल्यांकन संरचना

1.1 परिचयात्मक विवरण :

1.1.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत समाज के आर्थिक रूप से गरीब यथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, विधवा एवं परित्यक्ता महिला तथा बच्चों के उत्थान हेतु अनेक विकासीय कार्यक्रम यथा– वृद्ध एवं अशक्त गृह, कुष्ठ गृह, विशेष छात्रवृत्ति, कारागृह कल्याण सेवाऐं, भक्त श्रवण कुमार कल्याण सेवा आश्रम इत्यादि संचालित किये जा रहे हैं, इनमें विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं का मुख्य स्थान है। पेंशन योजना का मुख्य उद्धेश्य पात्र व्यक्तियों/महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकट एवं पीड़ा के समय इनकी देखभाल एवं जीवनयापन में राज्य सरकार भागीदार बने तथा पीड़ित लोगों को समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो।

1.2.0 वृद्धावस्था पेंशन–

1.2.1. पृष्ठभूमि :

1.2.1.1 आजादी प्राप्ति के उपरान्त देश के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए शासन द्वारा वर्ष 1951 से "पंचवर्षीय विकास योजना" पर आधारित योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि, सिंचाई, विद्युत, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, गरीबी निवारण, आधारभूत सुविधाओं का सृजन आदि कार्यक्रम को प्राथमिकता स्तर पर लिया गया है। सामाजिक विकास के क्षेत्र में शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, पेयजल एवं सुगम यातायात सुविधाओं के सृजन के साथ–साथ सरकार द्वारा जनता तथा वृद्धों की देखभाल, सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कराने के उद्देश्य हेतु अनेक प्रकार की जन–कल्याणकारी योजनाएं प्रारम्भ की गई जिससे असहाय वृद्ध पुरूष एवं महिलाओं की सुरक्षा व जीवनयापन को सुगम तथा सम्मान के साथ जीवन निर्वाह कर सके। इस हेतु विभिन्न पेंशन योजनाओं के माध्यम से आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2004 में ''वृद्धजन नीति'' की घोषणा की गई है। वृद्धावस्था पेंशन के अतिरिक्त वृद्धों को आवास एवं आश्रम, स्वास्थ्य, वित्तीय सुरक्षा, जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा, शिक्षा व अधिकार तथा यात्रा में रियायत देने आदि पर कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा वृद्धों के हितों की सुरक्षा व देखरेख के लिए ''वृद्ध कल्याण कोष'' तथा ''वृद्ध कल्याण बोर्ड'' गठित किया जाना प्रस्तावित है।

1.2.2 **देय पेंशन राशि :**

1.2.2.1 राज्य सरकार द्वारा सामाजिक कार्यक्रम के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 1974 से सामाजिक पेंशन योजना का क्रियान्वयन राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम के अन्तर्गत किया जा रहा है। दिनांक 01.06.1999 से 58 से 65 की आयु के वृद्ध पुरूष को 100 रूपये 55 वर्ष से अधिक की आयु की महिला एवं 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष को 200 रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा संयुक्त पेंशन (पति–पत्नी को) 300 रुपये प्रतिमाह दी जा रही थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.4.2006 से 65 वर्ष से अधिक आयु की वृद्ध महिला अथवा पुरूष की पेंशन राशि बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिमाह तथा 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के दम्पत्ति की संयुक्त पेंशन 600 रुपये प्रतिमाह कर दी गई है। यदि किसी दम्पत्ति (पति–पत्नी) दोनों में से किसी एक की भी आयु 65 वर्ष या उससे अधिक है तो संयुक्त पेंशन 500 रुपये प्रतिमाह कर दी गयी। इस सम्बन्ध में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 17.06.2006 एवं 06.09.2006 के आदेश परिशिष्ट–I एवं परिशिष्ट–II पर संलग्न है। आदेश दिनांक 31.11.2007 के द्वारा जारी विभिन्न आदेशों के अनुसार देय राशि का विवरण पुरूष एवं महिला की आयु के अनुसार निर्धारित पेंशन राशि का विवरण परिशिष्ट–III पर उपलब्ध है।

1.3 **वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्रता :**

(1) 58 वर्ष की आयु का पुरूष या 55 वर्ष की आयु की महिला जो निराश्रित हो,

(2) राजस्थान का मूल निवासी हो और आवेदन के दिन कम से कम तीन वर्ष की अवधि से राजस्थान में रह रहा हो,

(3) प्रकट स्त्रोतों से (जैसे–किराया, ब्याज, लाभांश, सेवा अनुदान या वृति, व्यवसाय, कारोबार, व्यापार, उद्योग आदि से) नियमित आय नहीं हो, यदि आवेदक सीमान्त कृषक है– निर्धारित सीमा की आधी से कम कृषि भूमि से प्राप्त आय को नियमित आय नहीं माना जायेगा। जिलानुसार सीमान्त कृषक की जोत/कृषि का विवरण निम्न प्रकार है।

सारणी–1

जिलानुसार सीमान्त कृषक की जोत/भूमि

क्र.सं.	जिला	भूमि	
		सिंचित भूमि	असिंचित भूमि
1.	जैसलमेर	0.75 हैक्टेयर	5.00 हैक्टेयर
2.	बीकानेर	0.75 हैक्टेयर	3.50 हैक्टेयर
3.	झुन्झुनू	0.75 हैक्टेयर	1.50 हैक्टेयर
4.	अन्य	1.25 एकड (अर्थात् 0.50 हैक्टेयर)	2.50 एकड (अर्थात् 1.00 हैक्टेयर)

(4) प्रार्थी के कुटुम्ब/परिवार का सदस्य (पति/पत्नी/पुत्र/दत्तक पुत्र/पौत्र) 20 वर्ष या अधिक आयु का न हो या ऐसा सदस्य स्वयं अक्षम तथा कमाने में असमर्थ हो,

(5) किन्तु उपरोक्त में से किसी बात के होते हुए भी 65 वर्ष से अधिक आयु का पुरूष या महिला जो कि सहरिया जनजाति या ऐसे परिवार के हों, जिनकी पहचान राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग/संस्था द्वारा जारी सूचियों के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे, के परिवार के रूप में की गयी हो, पेशन के लिए पात्र होंगे।

1.4 आवेदन एवं स्वीकृति :

1.4.1 प्रार्थी को निर्धारित आवेदन प्रपत्र भरकर ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना होता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृति आदेश जारी किये जाते हैं। संबंधित कोष, उपकोष कार्यालय द्वारा पेंशन वितरण का कार्य किया जाता है। इस सम्बन्ध में वृद्धावस्था पेंशन हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप परिशिष्ट–IV पर उपलब्ध है।

1.5 पेंशन योजना की प्रगति :

1.5.1 राज्य में सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना वर्ष 1974 से क्रियान्वित की जा रही है जिसके तहत पात्रताधारी आशार्थियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पेंशन राशि का वितरण किया जा रहा है। राज्य में पिछले तीन वर्षों की योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्न प्रकार रही है :–

सारणी–2

वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(राशि रूपये लाखों में)

वर्ष	बजट आवंटन	व्यय	व्यय का प्रतिशत 3 ÷ 2	लाभान्वित (संख्या)
1	2	3	4	5
2003–04	7000.00	6247.11	89.24	295490
2004–05	8474.25	6898.55	81.41	337130
2005–06	8101.00	8589.99	106.04	370609
योग	**23575.25**	**21735.65**	**92.20**	**1003229**

योजनान्तर्गत संदर्भित तीन वर्षों में बजट आवंटित राशि 23575.25 लाख रूपये के विपरीत 21735.65(92.20 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय कर 1003229 वृद्धों (पुरूष एवं महिलाओं) को पेंशन राशि उपलब्ध करवाकर लाभान्वित किया गया। सम्भाग एवं जिलेवार लाभान्वितों का विवरण परिशिष्ट–V पर उपलब्ध है।

1.6 अध्ययन की आवश्यकता :

1.6.1 राज्य सरकार के निर्देश पर जेन्डर बजटिंग एवं आडिटिंग को दृष्टिगत रखते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवच के अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत देय राशि की पर्याप्ता व उपलब्धता से लाभार्थियों पर पडे प्रभाव के आकलन हेतु मूल्यांकन का कार्य राज्य मूल्यांकन संगठन द्वारा किया गया।

1.7 अध्ययन के उद्देश्य :

1.7.1 अध्ययन हेतु निम्न उद्देश्य निर्धारित किये गये :–

(1) योजनान्तर्गत वित्तीय तथा भौतिक प्रगति की समीक्षा करना,

(2) योजनान्तर्गत लाभान्वितों को देय राशि की पर्याप्तता, उपलब्धता (वितरण) एवं उपयोग का विश्लेषण करना,

(3) योजनान्तर्गत प्राप्त आर्थिक सहायता के प्रभाव का आकलन करना एवं

(4) योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयों/कमियों को ज्ञात कर उनके निराकरण हेतु सुझाव देना।

1.8 न्यादर्श प्रक्रिया :

1.8.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना के मूल्यांकन अध्ययन की सिफारिश की गयी थी। ये तीनों योजनाएं राज्य के सभी जिलों में संचालित की जा रही है अतः समय एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए बहुस्तरीय न्यादर्श पद्धति को अपनाते हुए विधवा पेंशन योजना की प्रगति के आधार पर न्यादर्श का चयन किया जाकर चयनित न्यादर्श को वृद्धावस्था पेंशन योजना व विकलांग/निःशक्त पेंशन योजना के मूल्यांकन हेतु भी चयनित माना जाकर क्षेत्रीय कार्य किया गया। विधवा पेंशन योजना की न्यादर्श प्रक्रिया निम्न प्रकार थी :–

- प्रथम स्तर पर संदर्भित अवधि के तीन वर्षों (2003–04, 2004–05 एवं 2005–06) के लाभार्थियों की संख्या को सम्भागवार घटते क्रम में व्यवस्थित कर सर्वाधिक लाभार्थियों की संख्या वाले प्रथम तीन सम्भागों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर सम्भागों का चयन किया गया।

- द्वितीय स्तर पर प्रत्येक चयनित सम्भाग से संदर्भित तीन वर्षों में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर एक–एक जिला अर्थात तीन जिलों यथा जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का चयन किया गया।

- तृतीय स्तर पर प्रत्येक चयनित जिले से दो नगर निकाय एवं दो पंचायत समितियों का चयन किया गया। एक–एक नगर निकाय एवं पंचायत समिति का चयन सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ता संख्या के आधार पर तथा एक–एक नगर निकाय एवं पंचायत समिति का चयन साधारण न्यादर्श पद्धत्ति अपनाकर किया गया। इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 6 नगर निकाय एवं 6 पंचायत समितियों का चयन किया गया।

- चतुर्थ स्तर पर प्रत्येक चयनित नगर निकाय से दो–दो वार्ड एवं प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन साधारण न्यादर्श पद्धत्ति से किया गया इस प्रकार अध्ययन हेतु कुल 12 वार्ड एवं 12 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया।

- अन्तिम स्तर पर प्रत्येक चयनित वार्ड एवं ग्राम पंचायत से वर्ष 2005–06 में लाभान्वितों में अधिकतम 15–15 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं का चयन किया जाना निर्धारित किया गया था। इस प्रकार अध्ययन हेतु चयनित वार्डों से 180 एवं चयनित ग्राम पंचायतों से 180 कुल 360 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं का चयन किया जाना था। क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित वार्डों एवं चयनित ग्राम पंचायतों में कम संख्या में लाभान्वित पाये जाने के कारण क्षेत्रीय कार्य के दौरान क्रमशः 155 एवं 163 कुल 318 लाभार्थियों से अध्ययन हेतु साक्षात्कार कर अनुसूचियाँ भरी गयी।

- चयनित जिलों, नगर निकायों, पंचायत समितियों के नाम व शहरी/ग्रामीण लाभार्थियों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी–3

चयनित जिलों/नगर निकाय/पंचायत समिति/वार्ड व ग्राम पंचायतों व लाभार्थियों की संख्या का विवरण

क्र. सं.	संभाग मुख्यालय	चयनित जिला	चयनित नगर निकाय (शहरी)	पंचायत समिति (ग्रामीण)	वार्ड	ग्राम पंचायत	लाभार्थी		
							शहरी	ग्रामीण	कुल
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	जयपुर	जयपुर	2 (1.झोटवाड़ा 2.चाकसू)	2 (1.आमेर 2.बस्सी)	4	4	55	52	107
2.	उदयपरु	उदयपुर	2 (1.उदयपुर 2.सलूम्बर)	2 (1.कोटडा 2.झाडोल)	4	4	60	55	115
3.	अजमेर	अजमेर	2 (1.अजमेर 2.ब्यावर)	2 (1.मसूदा 2.जवाजा)	4	4	40	56	96
	3	**3**	**6**	**6**	**12**	**12**	**155**	**163**	**318**

1.9.2 उक्त सारिणी से स्पष्ट है कि प्रस्तुत अध्ययन 318 लाभार्थियों पर आधारित है जिसमें 155 लाभार्थी शहरी व 163 लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के थे।

1.10 अध्ययन हेतु निर्धारित अनुसूचियाँ :

(1) प्रलेख अनुसूची :

इस अनुसूची में राज्य स्तर पर तथा चयनित जिलों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति यथा– वृद्धावस्था पेंशन योजना में चयनित लाभार्थियों की संख्या एवं वितरित पेंशन राशि तथा राज्य सरकार/विभाग से प्राप्त राशि व उसके उपयोग सम्बन्धी सूचनाऐं एकत्रित की गयी।

(2) लाभार्थी अनुसूची :

इस अनुसूची में पेंशन योजनान्तर्गत लाभार्थियों से पेंशन हेतु आवेदन–पत्र, पेंशन स्वीकृति, पर्याप्तता, समय पर प्राप्ति, राशि का उपयोग तथा सार्वजनिक जीवन में पड़े प्रभाव के बारे में तथा स्वीकृत पेंशन राशि मिलने में आ रही कठिनाईयों एवं उनके निराकरण हेतु प्राप्त सुझावों का समावेश किया गया।

(3) **अधिकारी/गैर–अधिकारी अनुसूची :**

योजना से सम्बन्धित अधिकारी, उपखण्ड़ अधिकारी, विकास अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधिकारी तथा जन–प्रतिनिधि, वार्ड मेम्बर, पंच/सरपंच आदि से भरी गयी।

(4) **डाकघर अनुसूची :**

चयनित ग्राम पंचायत के डाकघर, जहाँ से लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त होती है, से डाकघर अनुसूची भरी गयी।

(5) **अवलोकन टिप्पणी :**

क्षेत्रीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी द्वारा क्षेत्रीय कार्य करते समय लाभार्थी तथा योजना का लाभार्थी पर पड़े प्रभाव, लाभार्थी की सामाजिक स्थिति आदि के सम्बन्ध में विस्तृत टिप्पण प्राप्त की गयी। टिप्पण में उन बिन्दुओं का समावेश किया गया जिनके बारे में सूचना/विचार अनुसूची में नहीं आये है। संक्षेप में इस टिप्पण के माध्यम से तथ्यों पर आधारित गुणात्मक सूचना, कार्यक्रम की कमियाँ एवं सुझाव संकलित किये गये।

1.10 **संदर्भ अवधि :**

1.10.1 अध्ययन से सम्बन्धित प्रलेख सूचना वर्ष 2003–04 से 2005–06 तक एकत्रित की गयी। अधिकारी/गैर–अधिकारी एवं लाभार्थियों के विचार सर्वे दिनांक से सम्बन्धित है।

————

अध्याय – द्वितीय

प्रगति समीक्षा

2.1 वृद्धावस्था पेंशन योजना स्वरूप :

2.1.1 राजस्थान वार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत राज्य के समस्त जिलों में वृद्ध व्यक्तियों(पुरूष एवं महिला) को पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक सुरक्षा कवच अन्तर्गत संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य पात्र व्यक्तियों/महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के साथ–साथ यह भी सुनिश्चित करना है कि संकट एवं पीड़ा के समय इनकी देखभाल एवं जीवन यापन में राज्य सरकार भागीदार बने तथा पीड़ित लोगों को समाज में सम्मान के साथ जीवन निर्वाह करने का अधिकार प्राप्त हो।

2.1.2 पेंशन योजनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र में भरकर ग्रामीण क्षेत्र में सम्बन्धित विकास अधिकारी एवं शहरी क्षेत्र में उपखण्ड़ अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में विकास अधिकारी तथा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा प्रार्थी के पेंशन स्वीकृति आदेश जारी कर उसकी प्रति सम्बन्धित कोषाधिकारी को पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) जारी करने हेतु भिजवायी जाती है। कोषाधिकारी द्वारा पी.पी.ओ. जारी कर उसकी प्रति सम्बन्धित पेंशन भुगतान अधिकारी/सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी को भुगतान हेतु भिजवाते हैं तथा पी.पी.ओ. की प्रति प्रार्थी को भी भिजवायी जाती है। पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा पेंशनर को नगद/मनीआर्डर द्वारा स्वीकृत राशि उपलब्ध करवायी जाती है।

2.1.3 वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष एवं 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला को पेंशन उपलब्ध करायी जाती है। पेंशन योजनाओं के तहत देय पेंशन दरें समय–समय पर संशोधित की गयी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.4.2006 से 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला अथवा पुरूष की पेंशन राशि बढ़ाकर 400 रूपये प्रतिमाह तथा संयुक्त पेंशन 600 रूपये प्रतिमाह कर दी गयी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों अनुसार देय पेंशन राशि सम्बन्धी जारी आदेश दिनांक 30.11.2007 (***परिशिष्ट–III*** पर उपलब्ध) के अनुसार विभिन्न पेंशन योजनाओं अन्तर्गत पुरूष एवं महिलाओं को आयु अनुसार देय पेंशन राशि का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है :–

सारणी–4

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त पेंशन की राशि

क्र.सं.	विवरण	प्रतिमाह पेंशन की दरें (रूपये)	देय पेंशन की दिनांक
1.	55 वर्ष से अधिक आयु की महिला	200 रुपये	1.6.1999
2.	किसी भी आयु की विधवा लेकिन 65 वर्ष से कम	200 रुपये एवं दिनांक 01–07–06 से गेहूँ के लिए 50 रूपये अतिरिक्त	1.4.2007 से पूर्व
		400 रुपये	1.4.2007 से
3.	65 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला	400 रूपये	1.4.2006
4.	58 वर्ष से अधिक किन्तु 65 वर्ष से कम तक का पुरूष	100 रुपये	1.6.1999
5.	65 वर्ष एवं उससे अधिक का पुरूष अथवा महिला/विधवा	400 रुपये	1.4.2006
6.	पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दोनों ही 65 वर्ष से कम हो	300 रुपये	1.6.1999
6.	पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) 65 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के होने पर	600 रुपये	1.4.2006
7.	पति एवं पत्नी (संयुक्त पेंशन) दम्पत्ति में से किसी एक की भी आयु 65 वर्ष एवं उससे अधिक होने पर	500 रुपये	1.4.2006

2.2 राज्य स्तरीय प्रगति :

2.2.1 भौतिक प्रगति :

2.2.1.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों की गत तीन वर्षों की भौतिक प्रगति निम्न सारिणी में दर्शायी गई है तथा जिलेवार प्रगति ***परिशिष्ट– V*** पर उपलब्ध है।

सारणी–5

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2007–08 तक की भौतिक प्रगति

क्र.सं.	वर्ष	लाभान्वितों की संख्या
1	*2*	*3*
1.	2003–04	295490
2.	2004–05	337130
3.	2005–06	370609
4.	2006–07	402188
5.	2007–08	445449 (अनुमानित)

2.2.1.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि राज्य में वृद्ध लाभार्थियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 2003–04 में जहाँ 295490 वृद्धों को पेंशन दी गयी वहीं यह संख्या वर्ष 2004–05 में बढ़कर 337130 व वर्ष 2005–06 में 370609 हो गयी। विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2006–07 में 402188 वृद्धों को पेंशन दी गयी एवं वर्ष 2007–08 में 445449 वृद्धों को लाभान्वित किया गया। अतः विभाग द्वारा वृद्धों को लाभान्वित करने की संख्या में प्रत्येक वर्ष उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। ***परिशिष्ट–V*** में जिलेवार लाभान्वितों की संख्या का विश्लेषण भी यह दर्शाता है कि प्रत्येक जिले में लाभार्थियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

2.2.2 वित्तीय प्रगति :

2.2.2.1 वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक बजट प्रावधान/ संशोधित बजट प्रावधान व व्यय राशि निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी–6

वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत वर्ष 2003–04 से 2006–07 तक बजट प्रावधान एवं व्यय

(राशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	बजट प्रावधान	संशोधित बजट आवंटन	व्यय राशि	व्यय का प्रतिशत
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	2003–04	8100.00	7000.00	6247.11	89.24
2.	2004–05	7515.53	8474.25	6898.55	81.41
3.	2005–06	8016.53	8101.00	8589.99	106.04
4.	2006–07	9418.00	15985.21	14329.08	89.64

2.2.2.2 उपरोक्त सारिणी के समंकों को देखने से ज्ञात होता है कि :–

(i) वर्ष 2003–04 में बजट प्रावधान राशि 8100.00 लाख रूपये से कम कर संशोधित बजट आवंटन 7000.00 लाख रुपये के विपरीत 6247.1 (89.24 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये। वर्ष 2004–05 में बजट प्रावधान 7515.53 लाख रुपये से बढ़ाकर संशोधित बजट आवंटन 8474.25 लाख रुपये किये गये जिसके विपरीत 6898.55 (81.41 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये गये।

(ii) वर्ष 2005–06 में बजट प्रावधान राशि 8016.53 लाख रुपये से बढ़ाकर संशोधित बजट आवंटन राशि 8101.00 लाख रुपये करने के बावजूद 8589.99 (106.04 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये गये जबकि वर्ष 2006–07 में 9418.00 लाख

रुपये के बजट प्रावधान को बढ़ाकर 15985.21 लाख रुपये का संशोधित बजट आवंटन किया गया जिसमें से 14329.08 (89.64 प्रतिशत) लाख रुपये व्यय किये गये। इस प्रकार योजनान्तर्गत व्यय की गयी राशि में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। वर्ष 2006–07 में व्यय राशि की बढ़ोतरी पेंशन देय राशि में वृद्धि करने के कारण हुई हैं।

2.3 चयनित जिला स्तरीय प्रगति :

2.3.1 सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्धावस्था पेंशन योजना का बजट आवंटन जिला कलक्टर के माध्यम से जिला कोषालय (ग्रामीण/शहरी) को किया जाता है क्योंकि वृद्ध पेंशनर को भुगतान जिला कोषालय के माध्यम से पेंशन भुगतान अधिकारी/सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी द्वारा किया जाता है। अध्ययन हेतु चयनित तीनों जिलों यथा– जयपुर, अजमेर एवं उदयपुर से जिला स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति के समंकों की सूचना प्राप्त की गयी। उदयपुर जिले से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय, जिला अजमेर से कोषालय अजमेर एवं ब्यावर, जिला जयपुर से कोषालय (ग्रामीण) एवं उपकोष कार्यालय पेंशन (शहरी) से प्राप्त की गयी। योजना की वर्षवार राज्य स्तरीय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को पूर्व में वर्णित किया जा चुका है। जिला स्तरीय प्राप्त सूचनाओं, लाभान्वितों की संख्या, महिला लाभार्थी एवं पेंशन राशि के वितरण सम्बन्धी प्राप्त सूचनाओं का संकलन जिलेवार किया जाकर विवेचन किया गया है जो निम्न प्रकार है :–

2.3.2 लाभान्वितों में महिला सहभागिता :

2.3.2.1 चयनित जिलों में मार्च,2006 तक पुरूष एवं महिला लाभान्वितों की संख्या एवं विभाग द्वारा प्राप्त लाभान्वितों की सूचनाओं का संकलित विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारणी–7

वर्ष 2005–06 में लाभान्वितों की जिलेवार संख्या (संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	वर्ष 2005–06 में लाभान्वितों की संख्या		
		जिलों द्वारा प्रदत्त		
		पुरूष	महिला	योग
1.	जयपुर	6621 (45.64)	7885 (54.36)	14506 (100.00)
2.	उदयपुर	15400 (54.83)	12687 (45.17)	28087 (100.00)
3.	अजमेर	4825 (54.60)	4012 (45.40)	8837 (100.00)
	योग	**26846** **(52.20)**	**24584** **(47.80)**	**51430** **(100.00)**

कोष्ठक ( ) में कुल लाभान्वितों से पुरूष एवं महिला लाभान्वितों का प्रतिशत दर्शाया गया है।

2.3.2.2 उपरोक्त सारिणी को देखने से अवगत होता है कि :–

(i) चयनित तीनों जिलों में मार्च,2006 को 51430 वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही थी जिनमें से 24584(47.80 प्रतिशत) महिला लाभार्थी थी।

(ii) जयपुर जिले में सबसे ज्यादा 54.36 प्रतिशत महिलाओं को, उदयपुर एवं अजमेर जिले में क्रमशः 45.17 एवं 45.40 प्रतिशत महिलाओं को वृद्धावस्था पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही थी।

(iii) सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त लाभार्थियों की संख्या जिले से प्राप्त सूचना से मेल नहीं खाती है। अजमेर जिले से प्राप्त सूचना सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से प्राप्त सूचना से कम है तो जयपुर एवं उदयपुर जिले की जिलों से प्राप्त सूचना ज्यादा है। इसका प्रमुख कारण सम्भवतया मार्च की सूचनाओं को उसी वर्ष में सम्मिलित किया गया अथवा अगले वर्ष में सम्मिलित किया जाना रहा होगा। विभाग द्वारा राशि का आवंटन जिला कलक्टर के माध्यम से कोषालयों को किया जाता है एवं कोषालयों द्वारा ही पेंशनरों को पेंशन राशि उपलब्ध करवायी जाती है तथा योजना की प्रगति सम्बन्धी सूचनाएं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा तैयार की जाती है। वर्ष के अन्त में जिलों से यथासमय वास्तविक लाभान्वितों की सूचना के अभाव के कारण ही सम्भवतया भौतिक प्रगति में अन्तर रहा होगा। अतः विभाग द्वारा मार्च तक वास्तविक लाभान्वितों की सूचनाओं को उसी वित्तीय वर्ष में सम्मिलित करने हेतु मानिटरिंग व्यवस्था को सुदृढ़ करना चाहिए जिससे मार्च तक के लाभान्वितों की संख्या उसी वित्तीय वर्ष में सम्मिलित हो सके।

2.3.3 पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान :

2.3.3.1 चयनित जिलों से वर्षवार वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत जारी स्वीकृतियों, जारी पी.पी.ओ. एवं भुगतान किये जा रहे व्यक्तियों की संख्या प्राप्त की गयी। चयनित जिला उदयपुर से अन्य जिलों से प्राप्त निर्धारित प्रपत्र अनुसार सूचना प्राप्त नहीं हुई तथा शेष दो जिलों जयपुर एवं अजमेर से वर्ष 2004–05 एवं वर्ष 2005–06 में कोषालयों को प्राप्त पेंशन स्वीकृति एवं जारी किये गये पी.पी.ओ. तथा नियमित भुगतान किये गये पेंशनरों की सूचना का विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारणी–8

वर्ष 2004–05 एवं 2005–06 के दौरान कोषालयों को प्राप्त पेंशन स्वीकृति आदेश, जारी पी.पी.ओ. एवं नियमित भुगतान के आवेदकों की संख्या

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	प्राप्त पेंशन स्वीकृतियों की संख्या			जारी पी.पी.ओ. की संख्या			पेंशनरों की संख्या जिन्हें नियमित रूप से भुगतान प्रारम्भ किया गया		
		2004–05	2005–06	योग	2004–05	2005–06	योग	2004–05	2005–06	योग
1.	जयपुर	99	1382	1481	99	1382	1481	99	1382	1481
2.	अजमेर	681	716	1397	681	716	1397	681	716	1397
	योग	**780**	**2096**	**2878**	**780**	**2096**	**2878**	**780**	**2096**	**2878**

2.3.3.2 उपरोक्त सारिणी को देखने से विदित होता है कि वर्ष 2004–05 में चयनित जिला जयपुर एवं अजमेर में क्रमशः 99 एवं 681 कुल 780 आवेदकों की तथा वर्ष 2005–06 में क्रमशः 1382 एवं 716 कुल 2096 आवेदकों की पेंशन स्वीकृति कोषालयों को प्राप्त हुई। कोषालयों द्वारा समस्त स्वीकृत आवेदकों के उसी वर्ष में पी.पी.ओ. जारी कर पेंशनरों को उसी वित्तीय वर्ष में पेंशन राशि का नियमित भुगतान करवाना प्रारम्भ करवा दिया गया।

2.3.4 पेंशन राशि का भुगतान माध्यम :

2.3.4.1 सामान्यतया पेंशन का भुगतान मनीआर्डर द्वारा किया जाता है लेकिन पेंशन का भुगतान कोषालय से नकद रूप में भी प्राप्त किया जा सकता है इसी प्रकार पेंशन राशि को बैंक में जमा कराने का भी प्रावधान किया गया है लेकिन सबसे लोकप्रिय साधन मनीआर्डर ही है। चयनित जिलों में मार्च,2006 तक के लाभप्राप्तकर्त्ताओं को भुगतान का तरीका निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारणी–9

पेंशन राशि के भुगतान का माध्यम

(लाभार्थियों की संख्या)

क्र.सं.	चयनित जिला	कोषालय से नकद भुगतान	मनीआर्डर द्वारा	योग
1.	जयपुर	3439	11067	14506
2.	उदयपुर	–	28087	28087
3.	अजमेर	–	8837	8837

2.3.4.2 उपरोक्त सारिणी में अंकित समंकों के अनुसार चयनित जिला उदयपुर एवं अजमेर जिले में समस्त पेंशनरों को मनीआर्डर द्वारा पेंशन राशि उपलब्ध करवायी जा रही थी, केवल जयपुर जिले में 14506 पेंशनरों में 3439 (23.71 प्रतिशत) पेंशनरों को कोषालय से नगद भुगतान एवं शेष 11067 (76.29 प्रतिशत) पेंशनरों को मनीआर्डर द्वारा राशि का भुगतान किया जा रहा था।

————

अध्याय तृतीय

अध्ययन परिणाम

3.1 न्यादर्श स्वरूप :

3.1.1 जैसाकि पूर्व में वर्णित किया जा चुका है कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित विधवा/परित्यक्ता पेंशन योजना के मूल्यांकन अध्ययन हेतु चयनित न्यादर्श को ही वृद्धावस्था पेंशन योजना के अध्ययन हेतु चयनित माना गया, जिसके अनुसार सर्वाधिक लाभार्थियों वाले प्रथम तीन (50 प्रतिशत) सम्भागों यथा–जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का चयन कर प्रत्येक चयनित सम्भाग से गत तीन वर्षों में सर्वाधिक लाभ प्राप्तकर्ताओं की संख्या के आधार पर एक–एक जिले का यथा–जयपुर, उदयपुर एवं अजमेर का चयन वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्षेत्रीय कार्य हेतु चयन किया गया। जिले के चयन के पश्चात् चयनित जिले से दो नगर निकाय व दो पंचायत समितियों का चयन किया जाकर प्रत्येक चयनित नगर निकाय के दो–दो वार्ड एवं प्रत्येक चयनित पंचायत समिति से दो–दो ग्राम पंचायतों का चयन कर प्रत्येक चयनित क्षेत्र से अधिकतम 15–15 लाभार्थियों का चयन कर क्षेत्रीय कार्य सम्पन्न किया गया। क्षेत्रीय कार्य के समय चयनित पंचायत समितियों, नगरपालिकाओं एवं चयनित क्षेत्र के डाकघरों से विभिन्न प्रलेख सूचनाएं प्राप्त करने के साथ–साथ कार्यकारियों से विभिन्न पहलुओं पर विचार–विमर्श कर जानकारियाँ प्राप्त की गई तथा लाभार्थियों एवं सरकारी/गैर–सरकारी उत्तरदाताओं के साक्षात्कार के दौरान उनसे योजना सम्बन्धी जानकारी भी प्राप्त की गयी। क्षेत्रीय कार्य के दौरान अध्ययन के उद्देश्यों के अनुसार पेंशन आवेदन से लेकर पेंशन प्राप्त करने तक आ रही कठिनाईयाँ एवं पेंशन का उपयोग आदि के बारे में विशेष ध्यान दिया गया। अध्ययन के न्यादर्श के अनुसार भरी गयी अनुसूचियों का जिलेवार विवरण निम्न प्रकार है :–

सारणी–10

न्यादर्श अनुसार भरी गयी अनुसूचियों का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिले का नाम	न्यादर्श अनुसार भरी गयी अनुसूचियों की संख्या							
		जिला प्रलेख	नगर निकाय	पंचायत समिति	लाभार्थी (शहरी)	लाभार्थी (ग्रामीण)	योग (6+7)	सरकारी/ गैर सरकारी	डाकघर अनुसूची
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1	जयपुर	1	2	2	55	52	107	9	5
2	उदयपुर	1	1	2	60	55	115	37	2
3	अजमेर	1	2	2	40	56	96	9	–
	योग	**3**	**5**	**6**	**155**	**163**	**318**	**55**	**7**

3.1.2 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के चयनित प्रत्येक वार्ड एवं ग्राम पंचायतों से अधिकतम 15–15 लाभार्थियों से कुल 360 लाभार्थी अनुसूची भरी जानी थी, परन्तु चयनित वार्ड/ ग्राम पंचायत में कम संख्या में लाभान्वित पाये जाने के कारण 218 लाभार्थियों से ही अनुसूची भरी गयी। अजमेर जिले के डाकघर अनुसूची की सूचनाएं अपर्याप्त रही।

3.2.2 **आयु :**

3.2.2.1 वृद्धावस्था पेंशन 55 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष को उपलब्ध करायी जाती है। वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का चयनित जिलेवार एवं शहरी ग्रामीणवार आयु का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–11

लाभार्थियों की आयु का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	लाभार्थी की आयु अनुसार संख्या			
			55–65	65–75	75–85	85 वर्ष से अधिक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	55	29	20	5	1
	ग्रामीण	52	23	27	2	–
	योग	**107**	**52**	**47**	**7**	**1**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	60	42	15	3	–
	ग्रामीण	55	47	7	1	–
	योग	**115**	**89**	**22**	**4**	**–**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	40	14	22	4	–
	ग्रामीण	56	8	45	2	1
	योग	**96**	**22**	**67**	**6**	**1**
4.	**महायोग**					
	शहरी	155	85	57	12	1
	ग्रामीण	163	78	79	5	1
	कुलयोग	**318**	**163**	**136**	**17**	**2**
	प्रतिशत		**51.26**	**42.77**	**5.34**	**0.63**

3.2.2.2 उपर्युक्त तालिका को देखने से विदित होता है कि :–

(i) चयनित 318 लाभार्थियों में से सर्वाधिक 163(51.26 प्रतिशत) लाभार्थी 55 से 65 वर्ष की आयु के थे, 136(42.77 प्रतिशत) 65 से 75 वर्ष, 17(5.34 प्रतिशत) 75 से 85 वर्ष तक की आयु के एवं शेष 2 (0.63 प्रतिशत) लाभार्थी 85 वर्ष से भी अधिक आयु के थे।

(ii) चयनित जिलेवार एवं ग्रामीण शहरी निकायवार विश्लेषण भी यही दर्शाता है कि चयनित वार्ड/निकाय में भी अधिकांश लाभार्थियों की आयु 55 से 75 वर्ष के मध्य थी।

(iii) चयनित लाभार्थियों की पेंशन पात्रता के अनुसार ही स्वीकृत की गयी।

3.2.3 **जाति** :

3.2.3.1 चयनित 318 लाभार्थियों का जातिवार वर्गीकरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारणी–12

लाभार्थियों का जातिवार विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	वर्गवार लाभार्थियों की संख्या			
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	अन्य
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	55	11	1	11	32
	ग्रामीण	52	21	1	10	20
	योग	**107**	**32**	**2**	**21**	**52**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	60	4	12	26	18
	ग्रामीण	55	11	29	9	6
	योग	**115**	**15**	**41**	**35**	**24**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	40	16	–	10	14
	ग्रामीण	56	8	–	46	2
	योग	**96**	**24**	**–**	**56**	**16**
4.	**महायोग**					
	शहरी	155	31	13	47	64
	ग्रामीण	163	40	30	65	28
	कुल योग	**318**	**71**	**43**	**112**	**92**
	प्रतिशत		**22.33**	**13.52**	**35.22**	**28.93**

3.2.3.2 उपर्युक्त सारिणी के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि 318 चयनित लाभ प्राप्तकर्त्ताओं में से 71 (22.33 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जाति के, 43 (13.52 प्रतिशत) लाभार्थी अनुसूचित जनजाति, 112 (35.22 प्रतिशत) लाभार्थी अन्य पिछड़ा वर्ग के एवं शेष 92 (28.93 प्रतिशत) लाभार्थी अन्य वर्ग के थे। अनुसूचित जनजाति वर्ग के 43 लाभार्थियों में 41 लाभार्थी उदयपुर जिले के थे।

3.2.4 **साक्षर** :

3.2.4.1 चयनित 318 लाभार्थियों के शिक्षित/निरक्षर की जिलेवार सूचना निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी–13

लाभार्थियों का शैक्षणिक स्तर

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	शिक्षित/साक्षर	निरक्षर
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**जयपुर**			
	शहरी	55	46	9
	ग्रामीण	52	4	48
	योग	**107**	**50**	**57**
2.	**उदयपुर**			
	शहरी	60	12	48
	ग्रामीण	55	3	52
	योग	**115**	**15**	**100**
3.	**अजमेर**			
	शहरी	40	12	28
	ग्रामीण	56	5	51
	योग	**96**	**17**	**79**
4.	**महायोग**			
	शहरी	155	70	85
	ग्रामीण	163	12	151
	कुलयोग	**318**	**82**	**236**
	प्रतिशत		**25.79**	**74.21**

3.2.4.2 उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि 318 चयनित लाभार्थियों में से 82 (25.79 प्रतिशत) शिक्षित एवं 236 (74.21 प्रतिशत) लाभार्थी निरक्षर पाये गये। उपर्युक्त सारिणी का शहरी/ग्रामीण विश्लेषण यह दर्शाता है कि चयनित 155 शहरी लाभार्थियों में से 70 (45.16 प्रतिशत) शिक्षित थे, जबकि चयनित 163 ग्रामीण लाभार्थियों में से केवल 12 (7.36 प्रतिशत) शिक्षित थे। चयनित जिला जयपुर के शहरी क्षेत्र के चयनित 55 लाभार्थियों में सबसे ज्यादा 46(83.63 प्रतिशत) लाभार्थी शिक्षित थे जबकि उदयपुर एवं अजमेर जिले के चयनित लाभार्थी 60 एवं 40 में से क्रमशः 12(20.00 प्रतिशत) एवं 12(30.00 प्रतिशत) लाभार्थी शिक्षित/साक्षर पाये गये। संक्षेप में चयनित लाभार्थियों में शहरी क्षेत्र के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र से ज्यादा शिक्षित है।

3.2.5 मूल निवासी :

3.2.5.1 वृद्धावस्था पेंशन के चयनित समस्त 318 (शत–प्रतिशत) लाभार्थी राजस्थान के ही मूल निवासी है।

3.3 पारिवारिक विवरण :

3.3.1 परिवार में सदस्यों की संख्या :

3.3.1.1 चयनित 318 लाभार्थी परिवारों में सदस्यों की संख्या का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–14

चयनित परिवारों में सदस्य संख्या

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	कुल सदस्य	पुरूष	महिला	बच्चे
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	55	191	36	82	73
	ग्रामीण	52	170	37	75	58
	योग	**107**	**361**	**73**	**157**	**131**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	60	86	29	54	3
	ग्रामीण	55	100	42	48	10
	योग	**115**	**186**	**71**	**102**	**13**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	40	74	27	38	9
	ग्रामीण	56	141	45	73	23
	योग	**96**	**215**	**72**	**111**	**32**
4.	**महायोग**					
	शहरी	155	351	92	174	85
	ग्रामीण	163	411	124	196	91
	कुलयोग	**318**	**762**	**216**	**370**	**176**
	प्रतिशत			**28.35**	**48.55**	**23.10**

3.3.1.2 उपर्युक्त सारणी का अध्ययन यह दर्शाता है कि 318 परिवारों में कुल 762 सदस्य थे अर्थात एक परिवार में औसतन दो–तीन सदस्य थे। सारणी का सूक्ष्म विश्लेषण यह दर्शाता है कि कुल सदस्यों में 216(28.35 प्रतिशत) पुरूष, 370(48.55 प्रतिशत) महिलाएं एवं शेष 176(23.10 प्रतिशत) बच्चे थे। संक्षेप में चयनित लाभार्थी परिवारों में 23.10 प्रतिशत नाबालिग (बच्चे) पाये गये एवं शेष 76.90 प्रतिशत वयस्क (महिला एवं पुरूष) लाभार्थी सदस्य ही थे।

3.3.1.3 चयनित 318 लाभार्थी परिवारों में से 144 (45.28 प्रतिशत) परिवार में पेंशन प्राप्त करने वाला स्वयं ही सदस्य था।

3.3.2 परिवार में कमाने वाले सदस्यों का विवरण :

3.3.2.1 चयनित 318 वृद्ध परिवारों में कमाने वाले सदस्यों का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–15

चयनित परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	परिवार में कुल सदस्य संख्या	परिवार में कमाने वाले सदस्यों की संख्या	कमाने वाले सदस्यों के अनुसार परिवार संख्या		
					निल	1	1 से ज्यादा
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	55	191	52	22	21	12
	ग्रामीण	52	170	41	19	29	4
	योग	**107**	**361**	**93**	**41**	**50**	**16**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	60	66	20	40	20	–
	ग्रामीण	55	100	42	22	24	9
	योग	**115**	**186**	**62**	**62**	**44**	**9**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	40	74	21	20	19	1
	ग्रामीण	56	141	44	16	36	4
	योग	**96**	**215**	**65**	**36**	**55**	**5**
4.	**महायोग**						
	शहरी	155	315	93	82	60	13
	ग्रामीण	163	411	130	57	89	17
	कुलयोग	**318**	**762**	**223**	**139**	**149**	**30**
	प्रतिशत				**43.71**	**46.86**	**9.43**

3.3.2.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि चयनित 318 लाभार्थी परिवारों में से 139(43.17 प्रतिशत) परिवार ऐसे थे जिनमें एक भी सदस्य कमाने वाला नहीं था, 149(46.86 प्रतिशत) परिवारों में केवल एक सदस्य कमाने वाला था, 30(9.43 प्रतिशत) परिवारों में 1 से अधिक सदस्य कमाने वाले थे। चयनित 318 लाभार्थी परिवारों में औसतन दो–तीन सदस्य है जिनमें 223 सदस्य ही कमाने वाले हैं एवं आधे से कम (46.86 प्रतिशत) परिवारों में केवल एक ही सदस्य कमाने वाला था तथा 43.71 प्रतिशत परिवारों में कोई भी सदस्य कमाने वाला नहीं था।

3.3.3 **परिवार में पशुधन** :

3.3.3.1 चयनित परिवारों में पशुधन का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–16

चयनित परिवारों में पशुधन का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	कोई भी पशुधन नहीं	पशुओं की संख्यावार परिवार		
				1 पशु	2 पशु	2 पशु से अधिक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	55	53	2	–	–
	ग्रामीण	52	46	5	1	–
	योग	**107**	**99**	**7**	**1**	**–**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	60	60	–	–	–
	ग्रामीण	55	35	9	10	–
	योग	**115**	**95**	**9**	**10**	**1**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	40	40	–	–	–
	ग्रामीण	56	33	17	5	1
	योग	**96**	**73**	**17**	**5**	**1**
4.	**महायोग**					
	शहरी	155	153	2	–	–
	ग्रामीण	163	114	31	16	2
	कुलयोग	**318**	**267**	**33**	**16**	**2**
	प्रतिशत		**83.96**	**10.38**	**5.03**	**0.63**

3.3.3.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि चयनित 318 परिवारों में से 267 (83.96 प्रतिशत) परिवारों के पास किसी प्रकार का पशुधन उपलब्ध नहीं था, शेष 51 (16.04 प्रतिशत) परिवारों के पास पशु पाये गये। 33(10.38 प्रतिशत) परिवारों के पास केवल एक पशु, 16(5.03 प्रतिशत) परिवारों के पास दो पशु एवं 2(0.63 प्रतिशत) परिवारों के पास 2 से अधिक पशु थे। शहरी क्षेत्र के केवल 2 परिवारों के पास एक–एक पशु थे जबकि ग्रामीण क्षेत्र के 49 परिवारों के पास पशु थे। संक्षेप में चयनित परिवारों में से 16.04 प्रतिशत परिवारों के पास ही पशुधन उपलब्ध था।

3.3.4 परिवार की वार्षिक आय :

3.3.4.1 चयनित 318 परिवार की वार्षिक आय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–17

चयनित परिवारों की वार्षिक आय अनुसार विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	वार्षिक आय (हजार रुपये में)				
			5 हजार से कम	5–10	10–15	15 से अधिक	आय का कोई स्त्रोत नहीं
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	55	12	8	9	9	17
	ग्रामीण	52	18	7	10	8	9
	योग	**107**	**30**	**15**	**19**	**17**	**26**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	60	43	15	2	–	–
	ग्रामीण	55	40	10	2	–	3
	योग	**115**	**83**	**25**	**4**	**–**	**3**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	40	22	9	–	–	9
	ग्रामीण	56	35	14	2	–	5
	योग	**96**	**57**	**23**	**2**	**–**	**14**
4.	**महायोग**						
	शहरी	155	77	32	11	9	26
	ग्रामीण	163	93	31	14	8	17
	कुलयोग	**318**	**170**	**63**	**25**	**17**	**43**
	प्रतिशत		**53.46**	**19.81**	**7.86**	**5.35**	**13.52**

3.3.4.2 चयनित 318 परिवारों में से 43(13.52 प्रतिशत) वृद्ध परिवारों के पास आय का कोई स्त्रोत नहीं था। वे किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर रहे थे अर्थात सरकार से मिलने वाली पेंशन से ही अपना निर्वाह कर रहे थे। 170(53.46 प्रतिशत) परिवारों की वार्षिक आय 5000/– रुपये से भी कम थी, 63(19.81 प्रतिशत) परिवारों की आय 5 से 10 हजार के मध्य, 25(7.86 प्रतिशत) परिवारों की आय 10 से 15 हजार के बीच, 17 (5.35 प्रतिशत) परिवारों की आय 15 हजार रुपये से अधिक थी। संक्षेप में चयनित 13.52 प्रतिशत परिवारों की आय का कोई स्त्रोत नहीं था, 53.46 प्रतिशत परिवारों की आय 5 हजार रुपये से कम थी।

3.4 चयनित लाभार्थी का व्यवसाय :

3.4.1 चयनित 318 वृद्ध लाभार्थियों द्वारा वर्तमान/सर्वेक्षण दिनांक को की जा रही आर्थिक गतिविधी/व्यवसाय का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–18

वर्तमान में किये जा रहे कार्य का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	वर्तमान में क्या कर रहे हैं			
			कृषि	मजदूरी	स्वयं का छोटा–मोटा व्यवसाय	कुछ नहीं
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	55	–	6	11	38
	ग्रामीण	22	1	16	4	31
	योग	**107**	**1**	**22**	**15**	**69**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	60	–	7	10	43
	ग्रामीण	55	10	18	–	27
	योग	**115**	**10**	**25**	**10**	**70**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	40	–	5	9	26
	ग्रामीण	56	3	19	5	29
	योग	**96**	**3**	**24**	**14**	**55**
4.	**महायोग**					
	शहरी	155	–	18	30	107
	ग्रामीण	163	14	53	9	87
	कुलयोग	**318**	**14**	**71**	**39**	**194**
	प्रतिशत		**4.40**	**22.33**	**12.26**	**61.01**

3.4.2 उपर्युक्त सारिणी यह दर्शाती है कि चयनित 318 लाभार्थियों में से 14 (4.40 प्रतिशत) लाभार्थी कृषि, 71(22.33 प्रतिशत) लाभार्थी मजदूरी, 39(12.26 प्रतिशत) लाभार्थी स्वयं का छोटा–मोटा व्यवसाय करते थे। शेष 194(61.01 प्रतिशत) लाभार्थी किसी प्रकार का धन्धा नहीं करते थे। संक्षेप में 38.99 प्रतिशत लाभार्थी किसी न किसी प्रकार का छोटा–मोटा धन्धा करते थे एवं शेष 61.01 प्रतिशत लाभार्थी किसी भी प्रकार का धन्धा नहीं करते थे। इससे स्पष्ट है कि चयनित लाभार्थियों द्वारा आजीविका हेतु नियमित व्यवसाय नहीं किया जा रहा था।

3.5 वृद्ध लाभार्थियों का आवास :

3.5.1 चयनित 318 वृद्ध लाभार्थियों के आवास की स्थिति निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारिणी–19

वृद्ध लाभार्थियों के आवास की स्थिति

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	स्वयं का मकान		कच्चा	पक्का	कच्चा / पक्का
			हाँ	नहीं			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	55	28	27	11	16	1
	ग्रामीण	52	47	5	15	28	4
	योग	**107**	**75**	**32**	**26**	**44**	**5**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	60	49	11	22	18	9
	ग्रामीण	55	53	2	40	10	3
	योग	**115**	**102**	**13**	**62**	**28**	**12**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	40	18	22	6	12	–
	ग्रामीण	56	55	1	38	13	4
	योग	**96**	**73**	**23**	**44**	**25**	**4**
4.	**महायोग**						
	शहरी	155	95	60	39	46	10
	ग्रामीण	163	155	8	93	51	11
	कुलयोग	**318**	**250**	**68**	**132**	**97**	**21**
	प्रतिशत		**78.62**	**21.38**	**52.80**	**38.80**	**8.40**

3.5.2 उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 318 लाभार्थियों में से 250(78.62 प्रतिशत) वृद्ध लाभार्थी स्वयं के मकान में रह रहे थे जबकि शेष 68 (21.38 प्रतिशत) लाभार्थियों के पास आवास हेतु स्वयं का मकान नहीं था। 68 लाभार्थियों में से 60 लाभार्थी शहरी क्षेत्र में तथा मात्र 8 लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र में थे। जिन 250 लाभार्थियों के पास स्वयं के मकान थे उनमें से 132(52.80 प्रतिशत) कच्चे मकानों में, 97(38.80 प्रतिशत) पक्के मकानों में एवं शेष 21(8.40 प्रतिशत) कच्चे पक्के मकानों में रह रहे थे। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि :–

(i) ग्रामीण लाभार्थियों के पास शहरी लाभार्थियों की तुलना में आवास हेतु स्वयं के मकान अधिक थे।
(ii) शहरी क्षेत्र में ज्यादातर चयनित लाभार्थी पक्के मकान में रह रहे थे जबकि ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा लाभार्थी कच्चे मकान में रह रहे थे।
(iii) जिन लाभार्थियों के पास स्वयं का आवास नहीं था वे या तो किराये पर रह रहे थे या निकटतम रिश्तेदार के पास रह रहे थे।

3.6 वृद्ध लाभार्थियों का रहवास :

3.6.1 लाभार्थियों से यह जानना आवश्यक समझा गया कि वे परिवार में किसके साथ रह रहे है। इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रत्युत्तर निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारणी–20
वृद्ध लाभार्थियों के रहवास की स्थिति

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	किसके साथ रह रहे हैं			
			परिवार के साथ	अन्य परिजनों के साथ	रिश्तेदार के साथ	अकेले
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	55	19	5	3	28
	ग्रामीण	52	26	1	5	20
	योग	**107**	**45**	**6**	**8**	**48**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	60	21	–	4	35
	ग्रामीण	56	23	2	3	27
	योग	**115**	**44**	**2**	**7**	**62**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	40	17	2	2	19
	ग्रामीण	56	35	1	6	14
	योग	**96**	**52**	**3**	**8**	**33**
4.	**महायोग**					
	शहरी	155	57	7	9	82
	ग्रामीण	163	84	4	14	61
	कुलयोग	**318**	**141**	**11**	**23**	**143**
	प्रतिशत		**44.34**	**3.46**	**7.23**	**44.97**

3.6.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि 141(44.34 प्रतिशत) लाभार्थी अपने परिवार के साथ, 11(3.46 प्रतिशत) अन्य परिजनों के साथ, 23(7.23 प्रतिशत) अपने रिश्तेदारों के साथ, 143(44.97 प्रतिशत) अकेले रह रहे थे। संक्षेप में 44.97 प्रतिशत लाभार्थी अकेले एवं शेष 55.03 प्रतिशत लाभार्थी अपने परिवार, अन्य परिजन एवं रिश्तेदारों के साथ रह रहे थे।

3.7 राशन कार्ड/बी पी एल कार्ड :

3.7.1 चयनित 318 वृद्धों में से अधिकांश अर्थात 313(98.43 प्रतिशत) वृद्धों के पास राशन कार्ड थे। मात्र 5(1.57 प्रतिशत) वृद्ध परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं थे। चयनित 318 वृद्ध परिवारों में से 111(34.91 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे और 98 वृद्धों ने बी.पी.एल. कार्ड बना रखे थे। जिलेवार बी.पी.एल.चयनित वृद्धों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी–21

बी पी एल चयनित वृद्ध लाभार्थी का विवरण

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	बी पी एल चयनित लाभार्थी	बी पी एल कार्ड बना हुआ है	मौके पर बी पी एल कार्ड पाया गया
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**जयपुर**				
	शहरी	55	16	15	9
	ग्रामीण	52	12	9	6
	योग	**107**	**28**	**24**	**15**
2.	**उदयपुर**				
	शहरी	60	21	21	21
	ग्रामीण	55	23	21	20
	योग	**115**	**44**	**42**	**41**
3.	**अजमेर**				
	शहरी	40	10	10	10
	ग्रामीण	56	29	22	12
	योग	**96**	**39**	**32**	**22**
4.	**महायोग**				
	शहरी	155	47	46	40
	ग्रामीण	163	64	52	40
	कुलयोग	**318**	**111**	**98**	**80**
	प्रतिशत		**34.90**	**88.29**	**81.63**

3.7.2 उपर्युक्त सारिणी यह दर्शाती है कि अध्ययन हेतु प्रत्येक जिले में चयनित लाभार्थियों में सें बी पी एल परिवार के सदस्य पेंशन प्राप्त कर रहे थे। 111 बी.पी.एल. वृद्ध लाभार्थी परिवारों में से 98 उत्तरदाताओं ने बी.पी.एल. कार्ड बना हुआ अवगत कराया। सर्वेक्षण तिथि को बी.पी.एल. कार्ड के अवलोकन करने पर 80 लाभार्थियों के पास बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध था। जिन लाभार्थियों के पास सर्वे दिनांक को बी.पी.एल. कार्ड उपलब्ध नहीं था उसके मुख्यतः कारण यथा कार्ड का गुम हो जाना, किसी कारणवश दूसरे व्यक्ति को देना तथा परिवार के सदस्य के पास होना अवगत कराया गया। शहरी क्षेत्र के ज्यादा लाभार्थियों ने बी.पी.एल. कार्ड बना रखा है जबकि ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धा पेंशन प्राप्त करने वालों में चयनित 64 बी.पी.एल. परिवारों में से 52 लाभार्थियों ही ने बी.पी.एल. कार्ड बना हुआ होना बताया।

3.8 पेंशन प्राप्त होने की समयावधि :

3.8.1 चयनित 318 वृद्धों को गत कितने वर्षों से पेंशन मिल रही है, का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–22

अवधिवार पेंशन प्राप्त करने वाले विकलांग

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	2000 से पूर्व	2000 से 2002	2002 से 2004	2004 से 2006
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1.	**जयपुर**					
	शहरी	55	26	16	8	5
	ग्रामीण	52	12	16	11	13
	योग	**107**	**38**	**32**	**19**	**18**
2.	**उदयपुर**					
	शहरी	60	18	26	9	7
	ग्रामीण	55	46	1	5	3
	योग	**115**	**64**	**27**	**14**	**10**
3.	**अजमेर**					
	शहरी	40	–	–	22	18
	ग्रामीण	56	–	–	19	37
	योग	**96**	**–**	**–**	**31**	**55**
4.	**महायोग**					
	शहरी	155	44	42	39	30
	ग्रामीण	163	58	17	35	53
	कुलयोग	**318**	**102**	**59**	**74**	**83**
	प्रतिशत		**32.08**	**18.55**	**23.27**	**26.10**

3.8.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि सर्वाधिक 102(32.08 प्रतिशत) वृद्धों को वर्ष 2000 से पूर्व से ही पेंशन प्राप्त हो रही थी। 83(26.10 प्रतिशत) वृद्धों को वर्ष 2004–06 के मध्य से, 59(18.55 प्रतिशत) वृद्धों को वर्ष 2000 से 2002 के मध्य, 74(23.27 प्रतिशत) को 2002 से 2004 के मध्य पेंशन प्राप्त हो रही थी। संक्षेप में चयनित लाभार्थियों में सभी 8 वर्षों के लाभार्थी थे। जिलेवार विश्लेषण में केवल अजमेर ऐसा जिला था जिसमें वर्ष 2002–06 के मध्य से पेंशन प्राप्त हो रही थी। शेष सभी जिलों में सभी वर्षों के लाभार्थी थे।

3.9 पेंशन की जानकारी का माध्यम :

3.9.1 अध्ययन हेतु चयनित लाभार्थियों से पेंशन योजना के बारे में जानकारी प्राप्त होने के माध्यम की जानकारी प्राप्त की गयी। प्राप्त जानकारी का जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–23

पेंशन की जानकारी का माध्यम

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	ग्राम सेवक	सरपंच	पटवारी	अध्यापक	वार्ड पंच/ पार्षद	अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ता
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	**जयपुर**							
	शहरी	55	–	1	6	–	17	31
	ग्रामीण	52	12	21	7	3	8	1
	योग	**107**	**12**	**22**	**13**	**3**	**25**	**32**
2.	**उदयपुर**							
	शहरी	60	–	–	1	–	43	17
	ग्रामीण	55	33	25	–	4	25	–
	योग	**115**	**33**	**25**	**1**	**4**	**68**	**17**
3.	**अजमेर**							
	शहरी	40	–	–	–	1	19	23
	ग्रामीण	56	16	18	2	1	40	4
	योग	**96**	**16**	**18**	**2**	**2**	**59**	**27**
4.	**महायोग**							
	शहरी	155	–	1	7	1	79	71
	ग्रामीण	163	61	64	9	8	73	5
	कुलयोग	**318**	**61**	**65**	**16**	**9**	**152**	**76**
	प्रतिशत		**19.18**	**20.44**	**5.03**	**2.83**	**47.80**	**23.90**

3.9.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि लाभ प्राप्तकर्त्ताओं को पेंशन की जानकारी एक से अधिक स्त्रोतों से हुई है। ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन की जानकारी देने वालों में सरपंच, वार्ड पंच व ग्रामसेवक प्रमुख थे तो शहरी क्षेत्र में पेंशन की जानकारी का प्रमुख स्त्रोत वार्ड मेम्बर/पार्षद एवं अन्य पेंशन प्राप्तकर्ता थे। संक्षेप में पेंशन की जानकारी का प्रमुख स्त्रोत/माध्यम जनता के प्रतिनिधि रहे हैं।

3.10 पेंशन आवेदन करवाने में सहयोग :

3.10.1 पेंशन हेतु आवेदन करने में चयनित लाभार्थियों द्वारा जिन पदाधिकारियों द्वारा सहयोग किया गया, उसका विवरण निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारणी–24

पेंशन आवेदन हेतु सहयोग

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	ग्राम सेवक	सरपंच	पटवारी	अध्यापक	वार्ड पंच/पार्षद	अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ता
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*10*
1.	**जयपुर**							
	शहरी	55	5	1	4	1	18	26
	ग्रामीण	52	11	22	7	4	10	1
	योग	**107**	**16**	**23**	**11**	**5**	**28**	**27**
2.	**उदयपुर**							
	शहरी	60	–	–	–	–	43	18
	ग्रामीण	55	33	22	6	17	6	–
	योग	**115**	**33**	**22**	**6**	**17**	**49**	**18**
3.	**अजमेर**							
	शहरी	40	–	–	–	1	20	23
	ग्रामीण	56	15	17	–	2	30	8
	योग	**96**	**15**	**17**	**–**	**3**	**50**	**31**
4.	**महायोग**							
	शहरी	155	5	1	4	2	81	67
	ग्रामीण	163	59	61	13	23	46	9
	कुलयोग	**318**	**64**	**62**	**17**	**25**	**127**	**76**
	प्रतिशत		**20.13**	**19.50**	**5.35**	**7.86**	**39.94**	**23.90**

3.10.2 उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जिन पदाधिकारियों द्वारा वृद्धों को पेंशन की जानकारी दी गयी सामान्यतया उन्हीं के द्वारा पेंशन का आवेदन पत्र भरवाने व सम्बन्धित तक पहँचानें की कार्यवाही की गयी। आवेदन पत्र भरवाने में शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धों को पार्षद/वार्ड मेम्बर एवं अन्य पेंशन प्राप्तकर्ताओं द्वारा एवं ग्रामीण क्षेत्र में वृद्धों को सरपंच, ग्रामसेवक एवं वार्ड पंच द्वारा सहयोग किया गया। आवेदन पत्र भरवाने में 76(23.90 प्रतिशत) अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं का भी सराहनीय योगदान रहा। 42 वृद्धों को पटवारी/अध्यापकों द्वारा भी सहयोग किया गया। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि पेंशन की जानकारी देने, आवेदन पत्र भरवाने में सामान्यतया गैर–सरकारी/जन–प्रतिनिधियों का अधिक योगदान रहा है।

3.11 पेंशन स्वीकृति में लगने वाला समय :

3.11.1 वृद्धों के पेंशन हेतु आवेदन से लेकर पेंशन स्वीकृति तक लगने वाला समय निम्न सारिणी में दर्शाया गया है :–

सारणी–25

पेंशन स्वीकृति में समय

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	आवेदन के कितने समय बाद पेंशन स्वीकृत हुई (माह में)					जानकारी प्राप्त नहीं हुई
			1 माह	1–2 माह	2–4 माह	4–6 माह	6 माह से ज्यादा	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**जयपुर**							
	शहरी	55	–	–	50	5	–	–
	ग्रामीण	52	2	5	28	13	3	1
	योग	**107**	**2**	**5**	**78**	**18**	**3**	**1**
2.	**उदयपुर**							
	शहरी	60	14	22	17	4	–	3
	ग्रामीण	55	15	5	23	7	5	–
	योग	**115**	**29**	**27**	**40**	**11**	**5**	**3**
3.	**अजमेर**							
	शहरी	40	–	7	26	5	–	2
	ग्रामीण	56	–	42	6	5	3	–
	योग	**96**	**–**	**49**	**32**	**10**	**3**	**2**
4.	**महायोग**							
	शहरी	155	14	29	93	14	–	5
	ग्रामीण	163	17	52	57	25	11	1
	कुलयोग	**318**	**31**	**81**	**150**	**39**	**11**	**6**
	प्रतिशत		**9.75**	**25.47**	**47.17**	**12.26**	**3.46**	**1.89**

3.11.2 उपर्युक्त सारिणी का विश्लेषण यह दर्शाता है कि आधे के लगभग 150 (47.17 प्रतिशत) प्रतिशत वृद्धों को 2 से 4 माह के भीतर पेंशन स्वीकृत हो गयी। 81 (25.47 प्रतिशत) प्रतिशत को एक–दो माह में एवं 39(12.26 प्रतिशत) को 4 से 6 माह में पेंशन स्वीकृत हो गयी, लगभग 31(9.75 प्रतिशत) प्रतिशत लाभार्थी ऐसे थे जिनकी एक माह के अन्दर पेंशन स्वीकृत हो गयी। केवल 11(3.46 प्रतिशत) लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति में 6 माह से ज्यादा समय लगा। इस प्रकार 82.39 प्रतिशत लाभार्थियों की 4 माह के अन्दर पेंशन स्वीकृत हुई एवं शेष लाभार्थियों की पेंशन स्वीकृति में 4 माह से ज्यादा समय लगा। अतः इस ओर विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। विभाग द्वारा इस प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए कि आवेदन के एक माह में पेंशन स्वीकृत हो जाये। यह आवश्यक नहीं कि पेंशन स्वीकृति में विलम्ब का प्रमुख कारण विभागीय प्रक्रिया ही हो, कई बार पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज समय पर व सही अवस्था में उपलब्ध न कराये जाने के कारण भी पेंशन स्वीकृति में विलम्ब हो जाता है। अतः विभाग द्वारा ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि आवेदन पत्र में जो भी कमियाँ हो उनको एक साथ आवेदनकर्त्ता को समझाया जाये तथा पेंशन की प्रक्रिया को सुगम व गतिशील बनाया जाये ताकि असहाय विकलांगों को शीघ्रतिशीघ्र पेंशन प्राप्त हो सके।

3.12 पेंशन की राशि :

3.12.1 राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि के समय–समय पर परिवर्तन किये गये। अतः यह जानना आवश्यक समझा गया कि वृद्ध पेंशनर को वर्तमान में वृद्धावस्था पेंशन की कितनी राशि मिल रही है। सर्वे दिनांक को चयनित 318 लाभार्थियों में से 315 लाभार्थियों को पेंशन मिल रही थी। तीन चयनित लाभार्थियों के बच्चे व्यस्क हो जाने के कारण पेंशन मिलना बन्द होना बताया गया। प्राप्त पेंशन राशि का जिलेवार विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–26
पेंशन राशि

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तर दाता	पेंशन राशि (रुपये में)						पेंशन प्राप्त नहीं हो रही
			पूर्व में		सर्वे दिनांक को				
			200/–	300/–	200/–	300/–	400/–	600/–	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1.	**जयपुर**								
	शहरी	55	53	2	9	–	44	2	–
	ग्रामीण	52	47	5	3	–	44	5	–
	योग	**107**	**100**	**7**	**12**	**–**	**88**	**7**	**–**
2.	**उदयपुर**								
	शहरी	60	47	13	15	2	32	11	–
	ग्रामीण	55	44	11	15	2	29	8	1
	योग	**115**	**91**	**24**	**30**	**4**	**61**	**19**	**1**

3.	**अजमेर**								
	शहरी	40	36	4	—	—	35	4	1
	ग्रामीण	56	36	20	4	—	32	19	1
	योग	**96**	**72**	**24**	**4**	**—**	**68**	**23**	**2**
4.	**महायोग**								
	शहरी	155	136	19	24	2	111	17	1
	ग्रामीण	163	127	36	22	2	105	32	2
	कुलयोग	**318**	**263**	**55**	**46**	**4**	**216**	**49**	**3**
	प्रतिशत		**82.70**	**17.30**	**14.46**	**1.26**	**67.93**	**15.41**	**0.94**

3.12.2 उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है कि चयनित 318 लाभार्थियों में से 263(82.70 प्रतिशत) लाभार्थियों को 200 रूपये एवं 55(17.30 प्रतिशत) लाभार्थियों को 300 रूपये, संयुक्त पेंशन के प्राप्त हो रहे थे। दिनांक 1.4.2006 से 65 वर्ष की आयु की महिला एवं पुरूष तथा संयुक्त पेंशन की राशि बढ़ाने के कारण सर्वे दिनांक को 46 (14.46 प्रतिशत) लाभार्थियों को 200/— रुपये प्रतिमाह, 216(67.93 प्रतिशत) लाभार्थी जो 65 वर्ष से अधिक आयु के थे उनको 400/— रुपये प्रतिमाह, 49 (15.41 प्रतिशत) लाभार्थी जो पति एवं पत्नि दोनों 65 वर्ष से अधिक आयु के थे वे संयुक्त पेंशन प्राप्त कर रहे थे वे 600/— रुपये, 4(26 प्रतिशत) लाभार्थी जो पति एवं पत्नि दोनों 65 वर्ष से कम आयु के थे, वे संयुक्त पेंशन के लाभार्थी 300/— रुपये प्रतिमाह प्राप्त कर रहे थे एवं 3(0.94 प्रतिशत) लाभार्थियों को पेंशन मिलना बन्द हो गया था। क्षेत्रीय कार्य के दौरान लाभार्थियों द्वारा 65 वर्ष से ज्यादा की आयु के पेंशनधारियों की राशि के बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में यथासमय जानकारी नहीं होना एवं राशन कार्ड/ पहचान पत्र में सही आयु का इन्द्राज नहीं होने के कारण आयु प्रमाण बनाने में काफी परेशानी होना अवगत कराया गया, क्योंकि दिनांक 6—9—2006 के आदेशों में 65 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को 400/— रुपये दिये जाने के आदेश जारी किये गये थे। कुछ लाभार्थियों द्वारा आयु सम्बन्धी सुधार करवाया जाना भी पाया गया। अधिकांश लाभार्थियों को पेंशन राशि कब बढ़ी एवं कब से मिल रही है इत्यादि की जानकारी नहीं थी, उनका सुझाव था कि लाभार्थियों को पेंशन राशि बढ़ोत्तरी सम्बन्धी यथासमय जानकारी दी जानी चाहिए तथा राशन कार्ड/ पहचान पत्रों के बनाते समय आयु सही दर्ज की जानी चाहिये जिससे परेशानी नहीं उठानी पड़े।

3.13 पेंशन का माध्यम :

3.13.1 पेंशन कोष कार्यालय से नकद प्राप्त की जा सकती है अथवा मनीआर्डर द्वारा प्रार्थी को भिजवा दी जाती है। वर्तमान में बैंक/डाकघर खाते में भी पेंशन जमा कराने का प्रावधान किया गया है। सर्वे दिनांक को पेंशन प्राप्त करने वाले 315 चयनित लाभार्थियों द्वारा पेंशन प्राप्त करने का स्त्रोत निम्न तालिका में दर्शाया गया है :—

सारणी–27

पेंशन प्राप्ति का माध्यम

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	नकद कोषालय से	बैंक/डाकघर खाते में जमा	मनीआर्डर द्वारा नकद
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1.	**जयपुर**				
	शहरी	55	30	–	25
	ग्रामीण	52	8	3	41
	योग	**107**	**38**	**3**	**66**
2.	**उदयपुर**				
	शहरी	60	30	–	30
	ग्रामीण	54	4	6	44
	योग	**114**	**34**	**6**	**74**
3.	**अजमेर**				
	शहरी	39	–	–	39
	ग्रामीण	55	–	–	55
	योग	**94**	**–**	**–**	**94**
4.	**महायोग**				
	शहरी	154	60	–	94
	ग्रामीण	161	12	9	140
	कुलयोग	**315**	**72**	**9**	**234**
	प्रतिशत		**22.86**	**2.86**	**74.28**

3.13.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि पेंशन प्राप्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय माध्यम मनीआर्डर है, पेंशनर्स वृद्ध होने के कारण मनीआर्डर को ही सबसे उत्तम माध्यम मानते हैं। मनीआर्डर पोस्टमैन द्वारा स्वयं पेंशनर्स को दिया जाकर हस्ताक्षर लिए जाते हैं इससे पेंशन की राशि सीधी पेंशनर्स को प्राप्त होती है। बैंक एवं पेंशन घर से पेंशन प्राप्त करने में समय की बरबादी भी होती है तथा आने–जाने में आर्थिक भार भी पड़ता हैं एवं किसी नजदीकी रिश्तेदार से उसके साथ कोष कार्यालय/बैंक जाने की मिन्नतें भी करनी पड़ती है। जिलेवार विवरण यह दर्शाता है कि अजमेर जिले में शत–प्रतिशत लाभार्थियों द्वारा मनीआर्डर में ही पेंशन प्राप्त की जा रही थी। कुल चयनित 315 लाभार्थियों में से 237 (75.24 प्रतिशत) को मनीआर्डर से पेंशन प्राप्त हो रही थी। ज्यादातर उत्तरदाताओं का सुझाव था कि पेंशन भुगतान की व्यवस्था मनीआर्डर के माध्यम से ही होनी चाहिए।

3.13.3 पेंशन प्राप्ति का दूसरा लोकप्रिय माध्यम स्वयं कोषालय जाकर पेंशन प्राप्त करना है। जिन पेंशनर्स को पेंशन शीघ्र प्राप्त करनी होती है तथा जिनके कोषालय उनके गाँव/घर से अधिक दूरी पर नहीं होते अथवा आवागमन के साधन उपलब्ध होते हैं उन पेंशनर्स द्वारा कोष कार्यालय जाकर पेंशन प्राप्त की जाती है। प्रत्येक कोष कार्यालय में माह के निश्चित दिवसों के मध्य पेंशन वितरित की जाती है। किसी भी कोषालय के बाहर उन निश्चित दिनांकों को काफी संख्या में पेंशनर्स देखे जा सकते हैं। 315 लाभार्थियों में से 72 (22.86 प्रतिशत) लाभार्थी कोष कार्यालय जाकर नकद राशि प्राप्त कर रहे थे। कोष कार्यालय जाने वाले लाभार्थियों में अधिकांशतया शहरी लाभार्थी थे।

3.14 पेंशन की नियमितता :

3.14.1 पेंशन की राशि वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक मुख्य आर्थिक सहायता होने के कारण इसकी निरन्तरता एवं नियमितता अहम स्थान रखती है। पेंशन राशि प्रतिमाह प्राप्त होने के सम्बन्ध में चयनित लाभार्थियों द्वारा दिए गये प्रत्युत्तर निम्न तालिका में संकलित किये गये हैं :–

सारणी–28

पेंशन की नियमितता (प्रतिमाह)

(संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	हाँ	नहीं	यदि नहीं तो कितने अन्तराल में (माह में)			पेंशन मिलना बन्द हो गयी
					प्रत्येक 2 माह पर	2 माह बाद	3 माह बाद	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**जयपुर**							
	शहरी	55	49	6	–	5	1	–
	ग्रामीण	52	36	16	9	6	1	–
	योग	**107**	**85**	**22**	**9**	**11**	**2**	**–**
2.	**उदयपुर**							
	शहरी	60	–	60	43	17	–	–
	ग्रामीण	55	1	54	53	–	–	1
	योग	**115**	**1**	**114**	**96**	**17**	**–**	**1**
3.	**अजमेर**							
	शहरी	40	38	2	1	–	–	1
	ग्रामीण	56	27	29	26	1	1	1
	योग	**96**	**56**	**31**	**27**	**1**	**1**	**2**
4.	**महायोग**							
	शहरी	155	87	68	44	22	1	1
	ग्रामीण	163	64	99	88	7	2	2
	कुलयोग	**318**	**151**	**167**	**132**	**29**	**3**	**3**
	प्रतिशत		**47.48**	**52.52**	**79.04**	**17.36**	**1.80**	**1.80**

3.14.2 उपर्युक्त सारिणी को देखने से ज्ञात होता है कि चयनित 318 लाभार्थियों में से 151 (47.48 प्रतिशत) के अनुसार उन्हें नियमित रूप से प्रतिमाह पेंशन प्राप्त हो रही थी, लेकिन शेष 167 (79.04 प्रतिशत) के अनुसार पेंशन प्रतिमाह या नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही थी, इनमें से ज्यादातर 132 (79.04 प्रतिशत) को हर दूसरे माह एवं शेष 39 (19.16 प्रतिशत) लाभार्थियों द्वारा 2 माह से ज्यादा समय में पेंशन प्राप्त की जा रही थी तथा शेष 3 लाभार्थियों ने पेंशन राशि मिलना बन्द होना अवगत कराया क्योंकि उनके बच्चे 20 वर्ष के हो गये थे। इस सम्बन्ध में कोष कार्यालय एवं डाक विभाग से सम्पर्क करने पर पाया गया कि कई बार वृद्ध पेंशनर्स के ग्राम से बाहर अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले जाने से अथवा मजदूरी पर चले जाने से वे कोष कार्यालय नहीं आ पाते हैं अथवा डाकिया 2–3 बार जाकर वापस आ जाता है। सामान्यतया पोस्टमैन वृद्ध व्यक्तियों को जानता है और ग्राम वाले भी उनको पेंशन हेतु बता देते हैं अतः पेंशन का नियमित वितरण हो जाता है। डाकघर में स्टाफ की कमी के कारण तथा विस्तृत क्षेत्र के कारण कुछ स्थानों पर मनीआर्डर के माध्यम से पेंशन प्रतिमाह वितरित न की जाकर प्रत्येक दो माह में एक बार वितरित किये जाने की व्यवस्था कर रखी है।

3.15 सर्वे दिनांक को बकाया पेंशन की स्थिति :

3.15.1 सर्वे दिनांक को चयनित 318 लाभार्थियों में से 315 लाभार्थियों को सर्वे दिनांक को पेंशन प्राप्त हो रही थी, जिनकी बकाया पेंशन का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

सारणी–29

बकाया पेंशन का विवरण (संख्या)

क्र. सं.	चयनित जिला	उत्तरदाता	सर्वे दिनांक तक पेंशन कितने माह की बकाया है				
			Nil	1 माह	2 माह	3 माह	4 माह एवं अधिक
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1.	**जयपुर**						
	शहरी	55	49	1	3	2	–
	ग्रामीण	52	36	1	9	5	1
	योग	**107**	**85**	**2**	**12**	**7**	**1**
2.	**उदयपुर**						
	शहरी	60	–	20	27	13	–
	ग्रामीण	54	1	9	41	3	–
	योग	**114**	**1**	**29**	**68**	**16**	**–**
3.	**अजमेर**						
	शहरी	39	38	1	–	–	–
	ग्रामीण	55	27	10	16	1	1
	योग	**94**	**56**	**11**	**16**	**1**	**1**
4.	**महायोग**						
	शहरी	154	87	22	30	15	–
	ग्रामीण	161	64	20	66	9	2
	कुलयोग	**315**	**151**	**42**	**96**	**24**	**2**
	प्रतिशत		**47.94**	**13.33**	**30.48**	**7.62**	**0.63**

3.15.2 उपर्युक्त सारिणी से ज्ञात होता है कि 315 उत्तरदाता लाभार्थियों में से 151 (47.94 प्रतिशत) वृद्धों को सर्वे दिनांक तक चालू माह तक की पेंशन प्राप्त हो चुकी थी और कोई पेंशन बकाया नहीं नहीं थी, शेष 164(52.06 प्रतिशत) लाभार्थियों को प्रतिमाह नियमित भुगतान नहीं हुआ था जिन में से 42(13.33 प्रतिशत) लाभार्थियों की 1 माह की, 96 (38.48 प्रतिशत) लाभार्थियों की 2 माह की, 24 (7.62 प्रतिशत) वृद्धों की 3 माह की एवं शेष 2 (0.63 प्रतिशत) वृद्ध पेंशनर्स की 4 माह या इससे भी अधिक समय की पेंशन बकाया थी। सर्वाधिक बकाया पेंशन उदयपुर जिले में पायी गयी। बकाया पेंशन के 164 लाभार्थियों में 67 शहरी क्षेत्र एवं 97 लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्र के थे। ग्रामीण क्षेत्र में मनीआर्डर द्वारा दो माह से पेंशन भुगतान की व्यवस्था के कारण ज्यादा लाभार्थियों की पेंशन बकाया है। बकाया पेंशन के निम्न कारण दिये गये :–

क्र.सं.	कारण	संख्या	प्रतिशत
1.	मनीआर्डर द्वारा दो माह से पेंशन प्राप्त होती है।	103	62.81
2.	कोष कार्यालय में पेंशन लेने नहीं गये या घर पर नहीं रहने के कारण मनीआर्डर वापिस चला गया।	24	14.63
3.	अभी मनीआर्डर नहीं आया।	29	17.68
4.	जीवित प्रमाण पत्र देरी से भिजवाना।	8	4.88
	योग	**164**	**100.0**

3.15.3 उपर्युक्त कारणों से ज्ञात होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में पेंशन डाकघर के माध्यम से मनीआर्डर द्वारा दो माह की भिजवायी जाती है जिसके कारण पेंशन प्रतिमाह नहीं मिलकर दो माह में मिलती है एवं कई बार पेंशनर कोषालय से नगद राशि प्राप्त करने नहीं जाते हैं एवं पेंशनर के निवास से बाहर चले जाने के कारण मनीआर्डर वापिस भिजवा दिये जाते हैं। पेंशनर को हर वर्ष तहसील/पेंशन भुगतान अधिकारी को जीवित प्रमाण पत्र भिजवाना पड़ता है। वृद्ध होने के कारण जीवित प्रमाण पत्र देरी से भिजवाने के कारण भी पेंशन देरी से मिलने का कारण रहा है।

3.15.4 चयनित लाभार्थियों से बकाया पेंशन राशि की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि ज्यादातर पेंशनर्स को पेंशन बढ़ने, पेंशन बढ़ने की तिथि एवं बढ़ी हुई पेंशन प्राप्त करने हेतु अपेक्षित कार्यवाही की जानकारी नहीं होती है। पेंशनर्स को जन–प्रतिनिधियों यथा सरपंच/ पार्षद/ वार्ड पंच/ अन्य जागरूक ग्रामवासियों से ही जानकारी मिलती है एवं उनके सहयोग पर ही निर्भर रहते है। ऐसी स्थिति में पेंशनर को बकाया पेंशन राशि के कारणों की जानकारी हेतु इधर–उधर भटकना पड़ता है या

तहसील में जाने पर ही जानकारी प्राप्त होती है। जिन क्षेत्रों में जन–प्रतिनिधि सक्रिय रहते हैं या तो उनके सहयोग या निकटतम रिश्तेदार के सहयोग से तहसील/कोषालय स्तर पर कार्यवाही करने पर ही पेंशन प्राप्त होती है। जीवित प्रमाण–पत्र/आयु सम्बन्धी दस्तावेज/प्रमाण–पत्र देने हेतु दूसरे व्यक्तियों का सहयोग लेना पड़ता है जिससे समय की बर्बादी एवं आने–जाने में काफी व्यय हो जाता है। उनका सुझाव था कि पेंशन बढ़ोत्तरी इत्यादि की जानकारी देने एवं जीवित प्रमाण–पत्र इत्यादि दस्तावेजों की पूर्ति करवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत या पटवारी की होनी चाहिए जिससे नियमित रूप से यथासमय पेंशन राशि प्राप्त हो सके।

3.16 पेंशन राशि का उपयोग :

3.16.1 सर्वे दिनांक को पेंशन प्राप्त करने वाले 315 वृद्ध पेंशनर्स द्वारा प्राप्त पेंशन राशि का उपयोग अधिकांशतया निम्न मदों पर किया जा रहा है :–

क्र.सं.	पेंशन राशि का उपयोग	संख्या
1.	अन्न खरीदने हेतु	184
2.	दवाईयाँ खरीदने हेतु	96
3.	घरेलू खर्च में	294
4.	ऋण एवं ब्याज चुकाने में	1
5.	अन्य विभिन्न कार्य	6

3.16.2 चयनित वृद्ध व्यक्तियों द्वारा ज्यादातर राशि का उपयोग जीवन निर्वाह करने हेतु यथा– अन्न खरीदने अथवा घर की ही छोटी–मोटी वस्तुओं के खरीदने में किया जाता है। 96 पेंशनर द्वारा पेंशन की राशि का उपयोग दवाईयाँ खरीदने में भी किया गया।

3.17 पेंशन राशि की पर्याप्तता :

3.17.1 चयनित 318 वृद्ध व्यक्तियों में से 34 की राय में पेंशन राशि पर्याप्त थी, जबकि शेष 284 वृद्धों की राय में पेंशन राशि पर्याप्त नहीं थी उन्हें अतिरिक्त राशि की अन्यत्र स्थान से व्यवस्था करनी पड़ती थी। 71 लाभार्थी स्वयं की बचत को काम में ले रहे थे, 190 लाभार्थी अन्य परिजनों से उधार लेकर कार्य कर रहे थे एवं 55 लाभार्थियों ने अन्य व्यक्तियों/जनप्रतिनिधियों की सहायता से जीवनयापन करना अवगत कराया। ज्यादातर लाभार्थियों का सुझाव था कि वर्तमान में देय राशि जीवनयापन करने हेतु कम है। लाभार्थियों की राय के अनुसार 65 वर्ष से ज्यादा वृद्ध महिला/पुरूष की 500–600 रूपये एवं संयुक्त पेंशन (पति–पत्नि) दोनों की 800–1000 रूपये के मध्य होनी चाहिए।

3.18 पेंशन राशि का जीवन स्तर पर प्रभाव :

3.18.1 यद्यपि सरकार द्वारा प्रदत्त राशि इतनी अधिक नहीं कि इससे जीवन स्तर में अधिक सुधार हो लेकिन फिर भी इस राशि से गरीब वृद्ध पेंशनर्स के जीवन स्तर पर निम्न प्रभाव दृष्टिगोचर हुए हैं :–

क्र.सं.	प्रभाव	लाभार्थियों की संख्या
1.	परिवार में सम्मान बढ़ा।	63
2.	निकटतम रिश्तेदारों की मदद की बजाय पेंशन राशि से गुजारा होने लग गया।	177
3.	गाँव वालों की मदद के बजाय जीवन निर्वाह होने लग गया।	14
4.	आत्म निर्भर हो गये।	60
5.	आर्थिक कठिनाई कम हो गयी।	14

3.18.2 संक्षेप में वृद्ध पेंशनर्स को पेंशन मिलने से अब निकटतम रिश्तेदार/ग्रामवासियों की आर्थिक मदद की ज्यादा आवश्यकता नहीं रही एवं वे स्वंय सम्मान जनक जीवन निर्वाह करने लगे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 1.4.2006 से 65 वर्ष से ज्यादा आयु की महिला या पुरूष को 400/– रुपये एवं संयुक्त पेंशन के 600 रूपये उपलब्ध करवाये जा रहे है जिससे अपना गुजारा करने में काफी राहत मिली है।

3.19 परिवार के अन्य सदस्यों को पेंशन एवं लाभार्थियों को अन्य योजना में लाभ :

3.19.1 चयनित 318 वृद्ध परिवारों के परिवार में से 68 परिवारों के अन्य सदस्यों को भी किसी न किसी प्रकार की पेंशन प्राप्त हो रही थी। चयनित लाभार्थियों से इनका रिश्ता माता, पिता, भाई, पति एवं पत्नी आदि था।

3.20 पेंशन प्राप्त करने में कठिनाईयाँ एवं सुझाव :

3.20.1 चयनित 318 लाभार्थियों में से 258 (81.13 प्रतिशत) वृद्ध पेंशनर्स को पेंशन हेतु आवेदन करने, पेंशन स्वीकृत होने एवं पेंशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हुई, केवल 60 (18.87 प्रतिशत) लाभार्थियों को किसी न किसी प्रकार की कठिनाई हुई। जिन 60 लाभार्थियों ने किसी न किसी प्रकार की कठिनाई बतायी उनमें से 17 लाभार्थियों ने आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी, 8 लाभार्थियों ने पेंशन स्वीकृति सम्बन्धी एवं 37 लाभार्थियों ने पेंशन भुगतान प्राप्त करने सम्बन्धी कठिनाईयाँ बतायी। 17 वृद्ध लाभार्थियों को अशिक्षित होने के कारण एवं योजना की पूर्ण जानकारी नहीं होने के कारण फार्म भरने में कठिनाई आयी तथा आयु प्रमाण–पत्र प्राप्त करने में कठिनाई आयी, जबकि कई वृद्ध व्यक्तियों के आवेदन–पत्र में रही किसी न किसी कमी के कारण फार्म ही दुबारा भरना पड़ा और फोटो भी दुबारा लगानी पड़ी। 8 लाभार्थियों

ने पेंशन स्वीकृति में मुख्य कठिनाईयाँ यथा– पंचायत समिति/ तहसील में बार–बार चक्कर लगाना, स्वीकृति में ज्यादा समय लगना, स्वीकृति का आदेश नहीं मिलना इत्यादि बताये। 37 लाभार्थियों ने पेंशन भुगतान सम्बन्धी मुख्य कठिनाईयाँ यथा– मनीआर्डर से पेंशन दो–दो माह में मिलना, कोष कार्यालय कर्मियों का व्यवहार सही नहीं होना, वृद्ध होने के कारण तहसील स्तर पर जाने में परेशानी, राशि का समय पर नहीं मिलना इत्यादि बताये। कई लाभार्थियों को पेंशन नहीं मिलने या इधर–उधर भटकना एवं सही जानकारी नहीं होने के कारण काफी परेशान होना बताया।

3.20.2 चयनित लाभार्थियों को मुख्यतः पेंशन नियमों की जानकारी नहीं होने, आयु प्रमाण–पत्र बनवाने, स्वीकृति एवं भुगतान आदेश की जानकारी नहीं होने एवं कई बार पेंशन समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण पंचायत समिति, तहसील/उप कोष कार्यालय में कई चक्कर लगाने इत्यादि कठिनाईयों का सामना करना रहा हैं। चयनित लाभार्थियों द्वारा कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाने हेतु निम्न सुझाव दिये गये :–

क्र.सं.	वृद्ध पेंशनर्स द्वारा दिये गये सुझाव
1.	योजना का प्रचार–प्रसार कर सम्पूर्ण जानकारी ग्राम/वार्ड स्तर पर पात्र व्यक्तियों को दी जावें।
2.	योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम सभा द्वारा करवाकर आवेदन–पत्र भी ग्राम सभा/शिविर में ही भरवाने की व्यवस्था की जावें।
3.	आवेदन पत्र भरवाने की पूर्ण जिम्मेदारी ग्राम पंचायत को दी जावें।
4.	ग्राम पंचायत/क्षेत्र के पेंशनधारियों की पेंशन का भुगतान यथासमय एवं सुविधाजनक करने हेतु ग्राम पंचायत के माध्यम से ही करवाया जावें।
5.	आवेदन पत्र भरने के समय सही आयु अंकित करवाने की व्यवस्था की जावे एवं 65 वर्ष की आयु होने पर उप कोष कार्यालय द्वारा अपने आप ही बिना आयु प्रमाण पत्र के बढ़ी हुई पेंशन भिजवाने की व्यवस्था की जानी चाहिए।
6.	पेंशन राशि का भुगतान मनीआर्डर द्वारा दो माह के बजाय प्रतिमाह किया जाना चाहिये।
7.	पेंशन स्वीकृति एवं पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) की प्रति पेंशनर्स को रजिस्टर्ड डाक द्वारा ही भिजवाये जावें।
8.	पेंशन स्वीकृति में कम समय लगाया जावें।
9.	ग्राम पंचायत/वार्ड क्षेत्र के पेंशनर्स की हर वर्ष जीवित प्रमाण पत्र भिजवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत/पटवारी की होनी चाहिए।
10.	पेंशनर्स के बच्चों की पढ़ाई एवं बीमार होने पर ईलाज की व्यवस्था तथा बच्चों को पढ़ाई हेतु छात्रवृत्ति भी दी जावे।
11.	पेंशनर्स के बच्चों को सरकारी नौकरी दिलवायी जावे।
12.	योजना में लाभार्थी की पात्रता में परिवार के कमाऊ सदस्य की आयु में शिथिलता दी जाकर 25 वर्ष की जावें।

3.21 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों के विचार :

3.21.1 पेंशन कार्यक्रम से जुड़े सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों यथा– योजना के प्रभारी कार्यकारी/अधिकारी, ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम सेवक, उपखण्ड़ अधिकारी, कोषाधिकारी/सहायक पेंशन अधिकारी, सरपंच, विकास अधिकारी, उपनिदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, वार्ड पंच/पार्षद से भी कार्यक्रम क्रियान्विति, कठिनाईयाँ एवं सुझाव जानने हेतु सम्पर्क किया गया। कुल 55 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों से अनुसूची भरी गयी जिसमें 35 अधिकारी व 20 गैर–अधिकारी थे। जिलेवार अधिकारी/गैर–अधिकारियों की संख्या निम्न सारिणी में दर्शायी गयी है :–

सारणी–30

जिलेवार अधिकारी/गैर–अधिकारियों की संख्या

क्र. सं.	जिला	अधिकारी/ गैर–अधिकारी	संख्या	शैक्षणिक योग्यता				
				साक्षर	प्राथमिक	माध्यमिक	स्नातक	स्नातकोत्तर
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	जयपुर	अधिकारी	6	–	–	2	3	1
		गैर–अधिकारी	3	–	2	1	–	–
2.	उदयपुर	अधिकारी	21	–	–	–	12	9
		गैर–अधिकारी	16	6	–	7	–	3
3.	अजमेर	अधिकारी	8	–	–	–	7	1
		गैर–अधिकारी	1	–	–	1	–	–
	योग	**अधिकारी**	**35**	**–**	**–**	**2**	**22**	**11**
		गैर–अधिकारी	**20**	**6**	**2**	**9**	**–**	**3**
	कुल योग		**55**	**6**	**2**	**11**	**22**	**14**
	प्रतिशत			**10.9**	**3.6**	**20.0**	**40.0**	**25.5**

3.21.2 उपर्युक्त तालिका से ज्ञात होता है कि गैर–अधिकारियों की तुलना में सरकारी अधिकारी अधिक शिक्षित थे। स्नातक में दर्शाये गये 22 अधिकारियों में 9 अधिकारी इन्जीनियर थे। उदयपुर जिले में 6 गैर–अधिकारी केवल साक्षर पाए गये। सभी अधिकारियों/गैर–अधिकारियों को अपने क्षेत्र में चल रही सभी पेंशन योजनाओं की जानकारी थी तथा उनके अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों को भी इस बात की जानकारी थी कि वृद्ध व्यक्तियों को सरकार की ओर से पेंशन राशि स्वीकृत की जाती है। उनके अनुसार समय–समय पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा/वार्ड सभा में पेंशन योजनाओं की जानकारी दी जाती है, इसके अलावा प्रचार–प्रसार द्वारा, शिविर लगाकर, अभियान द्वारा, समाचार–पत्रों के विज्ञापन

द्वारा पेंशन योजनाओं की जानकारी भी दी जाती है। उप–खण्ड़ अधिकारी, विकास अधिकारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, पटवारी, ग्राम सेवक, सरपंच व अन्य जन–प्रतिनिधियों व कर्मचारियों द्वारा भी इस सम्बन्ध में नियमित रूप से जानकारी प्रदान की जाती है। अन्य पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं का भी योजना की जानकारी देने में सराहनीय योगदान रहा है। संक्षेप में समाज के प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को इसकी जानकारी है और उसके द्वारा पात्र व्यक्ति को जानकारी प्रदान की जाती है फिर भी कई लाभार्थियों को पेंशन नियमों में पेंशन दरों में समय–समय पर किये गये संशोधनों की जानकारी नहीं हो पाती है, जिसके कारण उनको यह मालूम नहीं हो पाता है कि पेंशन की राशि एवं आयु के अनुसार पेंशन में कब से बढ़ोतरी हुई है एवं कितनी हुई है। अतः ग्राम सभाओं के माध्यम से जानकारी दी जानी चाहिए।

3.21.3 समस्त चयनित सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों को इस बात की पूर्ण जानकारी थी कि वृद्ध पेंशनर्स पेंशन के लिए पात्रता क्या है व कितनी पेंशन प्राप्त होती है। समस्त अधिकारियों/गैर–अधिकारियों की राय में उनके क्षेत्र की जिन लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही थी वे सभी लाभार्थी पात्र थे।

3.22 आवेदन एवं स्वीकृति के सम्बन्ध में :

3.22.1 सभी चयनित 55 सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों की राय में पेंशन फार्म आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। 44 (80 प्रतिशत) अधिकारियों की राय में पेंशन 1 माह की अवधि में, 3 के अनुसार 2 से 3 माह की अवधि में एवं 4 के अनुसार 3 से 4 माह की अवधि में पेंशन स्वीकृत हो जाती है। अधिकांश अधिकारियों की राय में पेंशन 1 माह की अवधि में स्वीकृत हो जाती है, जबकि गैर–अधिकारियों की राय में इसमें 1 से 2 माह का समय लगता हैं। 39 अधिकारियों/गैर–अधिकारियों की राय में पेंशन का वितरण 1 माह में, 22 के अनुसार 1 से 2 माह में, 8 के अनुसार 2 से 3 माह का समय व 4 के अनुसार 3 से 4 माह तक का समय लग जाता हैं। यहाँ पर यह कहना उचित होगा कि लगभग यही राय चयनित लाभार्थियों की थी। संक्षेप में साधारण परिस्थितियों में आवेदन के 2 माह पश्चात् पेंशन मिलना प्रारम्भ हो जाती हैं।

3.23 पेंशन राशि के सम्बन्ध में :

3.23.1 पेंशन राशि के सम्बन्ध में गैर–अधिकारियों को नवीनतम पूर्ण जानकारी नहीं थी। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1.4.2006 से 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला या पुरूष की व्यक्तिगत पेंशन एवं संयुक्त पेंशन की राशि बढ़ायी गयी थी। कई कार्यकारियों को आयुवार/दम्पत्तिवार प्रदान की जाने वाली राशि ज्ञात नहीं थी। यदि कार्यकारियों/गैर–अधिकारियों को ही नवीनतम पूर्ण जानकारी नहीं है तो उनके द्वारा क्षेत्र की आम जनता को भी पुरानी सूचना ही उपलब्ध करायी जाएगी। अतः विभाग द्वारा पेंशन राशि में परिवर्तन की सूचना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाना चाहिए।

3.23.2 चयनित 55 अधिकारियों/गैर–अधिकारियों में 15 के अनुसार पेंशन की राशि सन्तोषप्रद थी जबकि 40 की राय में इसमें वृद्धि अपेक्षित है, 23 की राय में यह राशि 500/– रुपये, 3 की राय में 600/– रुपये एवं 14 की राय में संयुक्त पेंशन 1000/– रुपये होनी चाहिए। 55 में से 42 की राय में पेंशन राशि लाभार्थी को समय पर प्राप्त हो जाती है जबकि 13 की राय में राशि विलम्ब से प्राप्त होती है।

3.23.3 चयनित अधिकारियों/गैर–अधिकारियों की राय में वृद्ध पेंशनर्स द्वारा कोष कार्यालय जाकर अथवा मनी–आर्डर द्वारा पेंशन प्राप्त की जा रही थी और इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं थी। उनके अनुसार भी मनी–आर्डर से पेंशन प्राप्त करना अधिक लोकप्रिय हैं।

3.24 योजना के संचालन में अनुभूत कठिनाईयाँ एवं प्रभावी सुझाव :

3.24.1 अधिकारी एवं गैर–अधिकारियों में योजना की जानकारी, आवेदन–पत्र, पेंशन स्वीकृति, पेंशन भुगतान व्यवस्था में आ रही कठिनाईयों एवं उनके निवारण हेतु प्रभावी सुझाव दिये गये कि –

(i) ग्राम पंचायत स्तर/ वार्ड स्तर पर शिविर आयोजित कर पात्र व्यक्तियों का चयन किया जावे तथा आवेदन पत्र की सम्पूर्ण पूर्ति करवाकर शिविर में ही पात्र आवेदकों की स्वीकृति की जावे। इस हेतु योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावे तथा सम्बन्धित विभागों के अधिकारी यथा विकास अधिकारी, तहसीलदार, चिकित्सा अधिकारी इत्यादि उपस्थित रहने हेतु पाबन्द किया जाना चाहिए।

(ii) ग्राम सभाओं के माध्यम से समय–समय पर पेंशन राशि में की गयी बढ़ोतरी की जानकारी दी जानी चाहिए।

(iii) उप कोष/ तहसील में पेंशनर्स का यथा समय जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत एवं पटवारी को दी जानी चाहिए जिससे पेंशनर्स को नियमित रूप से पेंशन राशि मिलती रहेगी।

(iv) आवेदक के 20 वर्ष का पुत्र होते ही उसकी पेंशन स्वतः बन्द हो जाती है जबकि 20 वर्ष की आयु में न तो पढ़ाई ही पूर्ण हो जाती है और न ही किसी प्रकार का रोजगार मिल पाता है। अतः आयु में शिथिलता दी जाकर संतान की आयु 25 वर्ष की जानी चाहिए।

(v) वृद्धावस्था पेंशन में पेंशन राशि आयुवार/ दम्पत्तिवार प्रदान की जाती है। अतः पेंशन आवेदन पत्र स्वीकृति पत्र में आयु सही दर्ज कराने की सुनिश्चित व्यवस्था की जानी चाहिए एवं आयु के अनुसार देय पेंशन व राशि स्वतः ही भिजवायी जानी चाहिए।

————

अध्याय चतुर्थ

कठिनाईयाँ एवं सुझाव

4.1 समाज के असहाय वर्ग यथा वृद्ध, विधवा, परित्यक्ता, विकलांग एवं निःशक्तजन की देखभाल, सुरक्षा एवं सम्मानजनक जीवनयापन करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाएँ प्रारम्भ की गई। राज्य में राजस्थान बार्धक्य एवं विधवा पेंशन नियम 1974 के अन्तर्गत 55 वर्ष की आयु से अधिक महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष को पेंशन उपलब्ध करवायी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बढती हुई महंगाई एवं राज्य के वृद्ध व्यक्तियों के जीवनयापन को ध्यान में रखते हुए समय–समय पर पेंशन राशि में भी वृद्धि की गई। जिसके फलस्वरूप सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा वृद्ध व्यक्तियों को दी जाने वाली पेंशन की राशि में बढ़ोतरी के साथ–साथ पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जो एक कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का द्योतक है। क्षेत्रीय विश्लेषण के आधार पर चयनित लाभ प्राप्तकर्ताओं, सरकारी/गैर सरकारी अधिकारियों के अनुसार वृद्धावस्था पेंशन योजना मोटे तौर पर सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है और चयनित लाभार्थियों को सामान्यतया नियमित रूप से पेंशन प्राप्त हो रही है। फिर भी क्षेत्रीय कार्य के दौरान कुछ कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुई, जिनका विवरण यहाँ इस आशय से दिया जा रहा है कि विभाग द्वारा उक्त योजना को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके तथा असहाय वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन प्राप्त करने में कठिनाई न हो।

1. **योजना के प्रचार–प्रसार की समुचित व्यवस्था** :

क्षेत्रीय अवलोकन में पाया गया कि लाभार्थियों को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर बढ़ायी गयी राशि के सम्बन्ध में समुचित जानकारी यथासमय प्राप्त नहीं होती है। कई लाभार्थियों को यह भी जानकारी नहीं है कि पेंशन की राशि कब से बढ़ी है एवं कितनी बढ़ी। लाभार्थी वृद्ध होने के कारण जनप्रतिनिधियों एवं अन्य ग्रामीण व्यक्तियों के सहयोग पर निर्भर रहते हैं एवं समस्या के समाधान करने में काफी परेशानी उठाते हैं। अतः ग्राम पंचायत/वार्ड क्षेत्र के सभी पेंशनरों को यथासमय जानकारी ग्राम पंचायत एवं पटवारी से दिलवाने की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए।

2. **आयु की गणना** :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी आदेशों के 55 वर्ष से अधिक की महिला एवं 58 वर्ष से अधिक आयु के पुरूष को 65 वर्ष तक देय राशि क्रमशः 200 रूपये एवं 100 रूपये है एवं 65 वर्ष या अधिक आयु के पुरूष या

महिला को 400 रूपये की पेंशन देय थी। क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह अवलोकन किया गया कि लाभार्थियों की आयु का प्रमाण–पत्र न होने की स्थिति में लाभार्थियों द्वारा आयु में परिवर्तन कराने हेतु पटवारी/ग्राम सेवक/तहसीलदार के चक्कर लगाने पड़ते हैं क्योंकि वद्ध व्यक्तियों की आयु राशन कॉर्ड अथवा मतदाता पहचान पत्र में सही अंकित नहीं होती है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह भी देखा गया कि कई बार कम आयु के पेंशनर (57 वर्ष) को रिकॉर्ड में 65 वर्ष(अधिक आयु) का दिखाया गया। इसी प्रकार 70 वर्ष के पेंशनर को 60 वर्ष दर्शाया गया था। यद्यपि राशन कार्ड में संबंधित अधिकारी द्वारा आयु दर्ज करते समय जानबूझकर ऐसी गलती नहीं की जाती है तथापि सरकार द्वारा आयु के आधार पर पेंशन दी जाने से पेंशन की राशि में स्वतः अन्तर हो जाता है। ऐसी स्थिति में 65 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों की बढ़ोतरी की गयी राशि प्राप्त करने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है। अतः ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि वृद्ध आवेदक के आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय ही आयु का प्रमाण पत्र लेकर ही स्वीकृत की जानी चाहिए एवं 65 वर्ष की आयु होने के बाद स्वतः ही बढ़ी हुई पेंशन उप कोष/तहसील से भिजवायी जानी चाहिए।

3. **ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर आवेदन पत्र भरवाने की व्यवस्था** :

योजनान्तर्गत सभी प्रकार के पेंशनरों के लिए ग्रामीण क्षेत्र के पात्र व्यक्ति सीधे अथवा ग्राम पंचायत के माध्यम से आवेदन–पत्र भरकर संबंधित पंचायत समिति के विकास अधिकारी को एवं शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थी सीधे अथवा संबंधित निकाय के माध्यम से उप खण्ड अधिकारी को पेंशन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करते हैं। अधिकांश ग्रामीण लाभार्थियों के अशिक्षित होने के कारण आवेदन–पत्र में कमियाँ/विसंगतियाँ रह जाती हैं। जिनकी पूर्ति हेतु वे ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं तहसीलदार के बार–बार चक्कर लगाते हैं। वृद्ध के असहाय होने की स्थिति में वह पेंशन स्वीकृत कराने से वंचित रह जाते हैं। अतः यह सुझाव दिया जाता है कि जहाँ तक सम्भव हो पेंशन आवेदन–पत्र ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित की जाने वाली ग्राम सभा अथवा किसी अभियान/शिविर में भरवाया जाये तथा उसी समय उसका सूक्ष्म परीक्षण कर लिया जावें, ताकि आवेदन–पत्र में किसी प्रकार की कमी न रहे।

4. **पात्र आवेदकों का चयन** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह तथ्य भी उभरकर आया कि जिन क्षेत्रों में जन–प्रतिनिधि यथा– सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद सक्रिय एवं जागरूक है वे क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत करवा लेते हैं। वहीं कई क्षेत्रों के पात्र व्यक्ति पेंशन आवेदन–पत्र ही प्रस्तुत नहीं कर पाये हैं या पेंशन स्वीकृत नहीं करवा पाते हैं। अतः पेंशन योजनान्तर्गत पात्र व्यक्तियों का चयन ग्राम सभा द्वारा किया जाना चाहिये जिससे पात्र व्यक्तियों का ही चयन हो सकेगा। पेंशन स्वीकृत करवाने की जिम्मेदारी भी ग्राम पंचायत को दिये जाने की व्यवस्था की जावें।

5. **आवेदक की पात्रता में शिथिलता** :

पेंशन के प्रावधान के अनुसार वृद्ध आवेदक के 20 वर्ष का पुत्र होते ही उसकी पेंशन स्वतः बन्द हो जाती हैं। क्षेत्रीय कार्य के दौरान चयनित लाभार्थियों का मत था कि 20 वर्ष की आयु में पुत्र न तो अपनी पढ़ाई ही समाप्त कर पाता है और न ही कमाने लायक होता है। यदि न्यूनतम पढ़ाई अर्थात 12वीं कक्षा पास करने के बाद यदि वह किसी प्रकार का कार्य करना चाहता है तो रोजगार के अभाव में वह किसी प्रकार की आय सृजित करने में असमर्थ रहता है। अतः क्षेत्रीय अवलोकन के आधार पर इस आयु पर पुनर्विचार किया जाना प्रस्तावित है। चयनित लाभार्थियों के अनुसार परिवार के सदस्य की आयु में शिथिलता देकर 25 वर्ष किया जाना उचित रहेगा।

6. **विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं में समन्वय** :

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं में ग्रामीण स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा पेंशन स्वीकृत कर कोषाधिकारी को भेजी जाती है। कोषाधिकारी द्वारा पी.पी.ओ. (पेंशन भुगतान आदेश) जारी कर तहसीलदार/सम्बन्धित सहायक पेंशन भुगतान अधिकारी को भेजा जाता है। जिसकी मूल प्रति संबंधित व्यक्ति को तथा एक प्रति पेंशन स्वीकृति अधिकारी को भेजी जाती है। पी.पी.ओ. की कार्बन कॉपी पढ़ने योग्य भी नहीं होती। इस संबंध में पंचायत समिति स्तर पर विकास अधिकारी द्वारा जारी पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ.) का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। विकास अधिकारी के अनुसार यदि पी.पी.ओ. की प्रति प्राप्त होती है तो उसे पत्रावलित कर लिया जाता है और यदि प्राप्त नहीं होती है तो उसके लिए किसी भी प्रकार का स्मरण–पत्र कोषाधिकारी को नहीं भेजा जाता है। विकास अधिकारी के अनुसार उनका कार्य केवल पेंशन स्वीकृति तक ही सीमित है उनके द्वारा स्वीकृत पेंशन में से कितने व्यक्तियों को पी.पी.ओ. जारी हुए इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं और न ही इस संबंध में उनके द्वारा कोई प्रयास किया जाता है। अतः उपखण्ड अधिकारी व विकास अधिकारी के कार्यालय में पेंशनधारियों की स्वीकृति अनुसार पी.पी.ओ.का रिकार्ड संधारण करवाया जाना चाहिये। इस प्रकार उपखण्ड़ अधिकारी/विकास अधिकारी एवं कोषालय/उप–कोषालय में समन्वय नहीं रहता है। इतना ही नहीं शहरी व ग्रामीण पेंशन अलग–अलग अधिकारियों के पास होने से इकजाई सूचना कहीं भी उपलब्ध न होने के कारण योजना की प्रलेख सूचना एकत्रित करने में अत्यधिक कठिनाई महसूस हुई। अतः सिफारिश की जाती है कि सभी एजेन्सीज की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए ताकि उनके द्वारा आवंटित कार्यों को सही व समय पर पूर्ण किया जा सके।

संक्षेप में योजनान्तर्गत आवेदन तैयार करना, स्वीकृत करना एवं पी.पी.ओ. जारी करने वाली एजेन्सीज अलग–अलग हैं और उनमें किसी प्रकार का तालमेल नहीं है। अतः सम्पूर्ण योजना का जिला/पंचायत समिति/निकाय स्तर पर एक नोडल अधिकारी बनाया जाये जो यह मॉनिटरिंग करे कि कितने आवेदन–पत्र प्राप्त हुए, कितने स्वीकृत हुए, कितने आवेदन–पत्रों पर पी.पी.ओ. जारी किया गया और कितने लाभार्थियों को पेंशन प्राप्त हो रही है।

7. **मॉनिटरिंग व्यवस्था** :

योजना की मॉनिटरिंग व्यवस्था समुचित नहीं है क्योंकि योजना के नोडल विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता के जिला स्तरीय कार्यालय में सूचना का एकरूपता से संधारण नहीं किया जा रहा है। इस हेतु न तो प्रपत्र निर्धारित है और न ही निश्चित दिनांक। केवल जिलों में कोषालय/उप–कोषालय अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की अलग–अलग सूचनाएं तैयार कर सीधे ही विभाग को भिजवायी जाती है। नोडल विभाग के जिला स्तरीय कार्यालयों में जिले की इकजाही सूचना एकत्रित नहीं की जाती है जिसके कारण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं कोषालय/उप–कोषालय द्वारा दिये गये ग्रामीण एवं शहरी सूचनाओं के योग से मिलान नहीं होती है। अतः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा पेंशन योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग व्यवस्था की जावें। इसके लिए प्रपत्रों का निर्धारण कर जिलों को भेजे जावें तथा जिम्मेदारी निश्चित की जावें।

8. **पेंशन का भुगतान मनीआर्डर के माध्यम से ही उपयुक्त** :

वृद्ध व्यक्तियों को पेंशन कोषालय/उप–कोषालय कार्यालय से नकद अथवा मनीऑर्डर द्वारा प्राप्त होती है। क्षेत्रीय कार्य के दौरान निम्न कठिनाईयाँ दृष्टिगोचर हुई :–

(i) कोषालय/उप–कोषालय कार्यालय में ग्राम पंचायतवार दिनांक निश्चित न होने से बेहद भीड़ हो जाती है फलतः लाभार्थी का पूरा दिन खराब हो जाता है। वृद्ध व्यक्ति के साथ किसी अन्य व्यक्ति के आने से उसका समय व बस में आने जाने की राशि का अतिरिक्त भार पड़ता है।

(ii) मनीऑर्डर द्वारा राशि भेजने पर लाभार्थी के घर पर न मिलने पर राशि वापिस भिजवा दी जाती है जिसे अगली पेंशन के साथ दिया जाता है। अधिकांश जिलों में दो माह की पेंशन व कई स्थितियों में 3–4 माह की पेंशन एक साथ मनीआर्डर द्वारा डाकघरों के माध्यम से वितरित की जाती है, जिससे वृद्ध पेंशनर्स को आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में पोस्ट ऑफिस में ही लाभार्थी का बचत खाता खोलकर उसको पेंशन जमा कराने की योजना प्रगति पर है जिसके लिए पेंशनकर्ताओं से 100–100 रूपये लिये गये थे, लेकिन इस संबंध में डाकघर के कर्मचारियों से वार्ता करने पर उन्होंने बताया कि इससे स्टाफ की कमी के कारण कठिनाईयाँ अधिक बढ़ेगी। अभी तक मनीऑर्डर की राशि स्वयं पेंशनकर्ता को दी जाती है लेकिन एक बार पासबुक/चैकबुक खो जाने पर उस राशि को चैक के माध्यम

से लाभार्थी का कोई भी रिश्तेदार (हस्ताक्षर/अंगूठा लगवाकर) निकाल सकता है। दूसरी ओर बार–बार पोस्ट ऑफिस आकर राशि निकालने में लाभार्थी का समय व धन दोनों ही अधिक व्यय होंगे। वृद्ध व्यक्तियों को तो और भी अधिक परेशानी होगी। पोस्ट ऑफिस में स्टाफ की कमी व पेंशन प्राप्तकर्त्ताओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रतिमाह पोस्टिंग में भी कठिनाई होगी।

अतः इस संबंध में यह सुझाव दिया जाता है कि पोस्ट ऑफिस से पेंशन राशि के वितरण की अपेक्षा वर्तमान तरीका अर्थात नकद अथवा मनीऑर्डर से राशि दिया जाना ही अधिक न्याय संगत रहेगा। चयनित लाभार्थी वर्तमान व्यवस्था को जारी रखने के पक्ष में थे।

9. **पेंशन स्वीकृति में लगने वाला समय** :

सामान्यतया पेंशन हेतु आवेदन करने से लेकर पेंशन स्वीकृति व पी.पी.ओ. जारी करने में 2 से 3 माह का समय लगता है। इसका प्रमुख कारण आवेदन–पत्र भरने, स्वीकृति जारी करने और पी.पी.ओ. जारी करने का कार्य पृथक–पृथक अधिकारियों द्वारा व पृथक–पृथक विभागों द्वारा किया जाना है। यदि एक ही एजेन्सी द्वारा उपर्युक्त कार्य किया जाए अथवा तीनों एजेन्सियों में आपसी समन्वय हो तो इस प्रक्रिया में लगने वाले समय में कमी सम्भव है। अतः पेंशन स्वीकृति में लगने वाले समय को कम किया जाना चाहिये।

10. **मनीआर्डर से प्राप्त राशि की रसीद** :

अधिकांश वृद्ध लाभार्थियों को पेंशन की राशि कब बढ़ी व कब से मिल रही है, की जानकारी नहीं थी। बढ़ी हुई राशि का भुगतान किसी क्षेत्र में जुलाई 2006 से किया जा रहा था तो कहीं सितम्बर 2006 से। कई लाभार्थियों से मनीऑर्डर की रसीद मांगी जाने पर कुछ का कहना था कि उन्हें रसीद दी ही नहीं जाती तो कुछ लाभार्थियों ने रसीद ही सम्भालकर नहीं रखते हैं, कम्प्यूटर की रसीदें पढ़ने में भी नहीं आ रही थी। डाकघर के ब्रांच मैनेजर के अनुसार मनीऑर्डर के साथ रसीद बहुत पतली आने से इस प्रकार की कठिनाई आ रही है। अतः सिफारिश की जाती है कि मनीऑर्डर के साथ रसीद अवश्य दी जानी चाहिए तथा पेंशन में वृद्धि के साथ–साथ पेंशन राशि भुगतान समयावधि की जानकारी भी मनीआर्डर की रसीद पर अंकित कर भिजवायी जानी चाहिये।

11. **जीवित प्रमाण–पत्र भिजवाने की व्यवस्था :**

योजनान्तर्गत जिन लाभार्थियों को मनीआर्डर द्वारा राशि प्राप्त होती है। उनको जीवित प्रमाण–पत्र भिजवाने में काफी परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि उनको यह मालूम नहीं रहता है कि जीवित प्रमाण पत्र कब भिजवाना है। प्रमाण पत्र के अभाव में

उनकी पेंशन राशि भिजवायी नहीं जाती है। जीवित प्रमाण पत्र हर वर्ष भिजवाया जाता है। अतः कोषालय/ उप कोष कार्यालय द्वारा मनीआर्डर की रसीद पर जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की जानकारी अंकित कर भिजवायी जानी चाहिए। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पेंशनर्स का जीवित प्रमाण पत्र भिजवाने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत एवं पटवारी को देने से समुचित व्यवस्था हो सकेगी।

12. **पात्र वृद्ध को पेंशन** :

क्षेत्रीय कार्य के दौरान यह बात मुख्य रूप से उभरकर आई कि जिन ग्राम पंचायतों के सरपंच जागरूक हैं वे गांव में किसी भी प्रकार के शिविर/अभियान चलते ही अपने क्षेत्र के पात्र व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत करवा लेते हैं लेकिन जहाँ पर पटवारी/ग्रामसेवक/सरपंच इस कार्य में रूचि नहीं लेते हैं वहाँ पर पात्र वृद्धों को पेंशन स्वीकृत नहीं हो पाती है। अतः योजना को प्रचार–प्रसार किया जावें तथा सर्वे करवाकर पात्र व्यक्तियों को चिन्हित् किया जावें तथा ग्राम सभा/शिविर आयोजित करवाकर पात्र व्यक्तियों के अनुमोदन पश्चात् ग्राम सभा में ही आवेदन की सम्पूर्ण कार्यवाही कर भरवाये जावें।

4.2 संक्षेप में वृद्धावस्था पेंशन योजना वृद्ध व्यक्तियों के लिए अत्यधिक सहायक एवं उपयोगी रही है। वर्तमान समय में 65 वर्ष से अधिक आयु की महिला या पुरूष की पेंशन राशि को बढ़ाया जाकर 400 रूपये कर दिया गया है, जिससे पेंशनर्स को जीवनयापन करने में काफी सम्बल मिला है। फिर भी यह राशि सम्पूर्ण गुजारा करने के लिए पूर्ण नहीं है। योजनान्तर्गत प्राप्त पेंशन राशि से वृद्ध व्यक्तियों का समाज व परिवार में सम्मान बढ़ा है, मनोबल बढ़ा है, उनके आर्थिक स्तर में तुलनात्मक रूप से वृद्धि हुई है। अकेले वृद्ध व्यक्ति के लिए तो यही एक जीवन का आसरा एवं आधार है। योजना का प्रचार–प्रसार किया जाकर सर्वे के माध्यम से वंचित पात्र व्यक्तियों को चिन्हित् किया जाकर ग्राम सभा में विचार–विमर्श कर (योग्य व्यक्तियों के) आवेदन–पत्र भरवाये जावें ताकि उसी समय उसका सूक्ष्म परीक्षण किया जा सके तथा पेंशन स्वीकृति में लगने वाले समय को और अधिक कम किया जा सके, यदि सम्भव हो तो स्वीकृति आदेश/पी.पी.ओ. की प्रति साधारण डाक से न भेजी जाकर पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें। पेंशन के नियमित भुगतान हेतु व कार्यालय में भीड़ कम करने के उद्देश्य से ग्राम पंचायतवार तिथि निश्चित कर दी जावें ताकि कार्यालय कर्मचारी व लाभार्थी दोनों को ही सुविधा हो सके। कई लाभार्थियों एवं सरकारी/गैर–सरकारी अधिकारियों ने पेंशन के नियमित भुगतान हेतु पेंशन भुगतान का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों को देने का भी सुझाव दिया गया। योजना की मोनिटरिंग पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है ताकि योजना से सम्बन्धित सभी सूचनाएं एक स्थान पर उपलब्ध हो सकें तथा उसमें किसी प्रकार की विसंगति न रहे।

————

परिशिष्ट – V

समाजिक न्याय एवं अधिकारित विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना अन्तर्गत वर्ष 2003–04, 2004–05 व 2005–06 की संभाग/जिलेवार लाभान्वितों की संख्या

क्र.सं.	संभाग	जिला	वर्ष			
			2003–04	2004–05	2005–06	योग
1.	***उदयपुर***	***उदयपुर***	31433	32048	24888	88369
		डूंगरपुर	20000	25200	29720	74920
		बांसवाड़ा	22647	19247	18447	60341
		राजसमन्द	19756	22659	23542	65957
		चित्तौडगढ़	11249	11239	11801	34289
	योग		**105085**	**110393**	**108398**	***323876***
2.	***जोधपुर***	जोधपुर	13949	13712	14231	41892
		बाड़मेर	4035	4093	3717	11845
		जैसलमेर	1125	902	1063	3090
		जालौर	21938	19432	20355	61725
		पाली	7986	8764	10155	26905
		सिरोही	3514	3396	3553	10463
	योग		**52547**	**50299**	**53074**	***155920***
3.	***अजमेर***	***अजमेर***	13238	13093	41660	67991
		टोंक	8019	8957	7638	24614
		नागौर	7791	8062	9422	25275
		भीलवाड़ा	9500	9513	6552	25565
	योग		**38548**	**39625**	**65272**	***143445***
4.	जयपुर	जयपुर	11567	11462	13114	36143
		सीकर	5542	5788	5690	17020
		झुन्झुनू	2145	4060	4791	10996
		अलवर	7007	10914	13787	31708
		दौसा	4478	5208	6329	16015
	योग		**30739**	**37432**	**43711**	**111882**
5.	भरतपुर	भरतपुर	10931	11357	7228	29516
		सवाईमाधोपुर	4729	10913	11788	27430
		धौलपुर	5672	5749	5018	16439
		करौली	3598	7229	7851	18678
	योग		**24930**	**35248**	**31885**	**92063**
6.	कोटा	कोटा	7947	10565	10467	28979
		बूंदी	2746	4499	5674	12919
		बांरा	5607	13377	8788	27772
		झालावाड़	2678	5768	8707	17153
	योग		**18978**	**34209**	**33636**	**86823**
7.	बीकानेर	बीकानेर	4415	4734	5362	14511
		चूरू	3863	7358	9539	20760
		गंगानगर	10823	12184	13502	36509
		हनुमानगढ़	5562	5648	6230	17440
	योग		**24663**	**29924**	**34633**	**89220**
	महायोग		**295490**	**337130**	**370609**	**1003229**